



मध्यप्रदेश शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन 2018—2019



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग



माननीय मंत्री श्री लखन घनघोरिया जी विभाग का कार्यभार ग्रहण करते हुए



मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना – सामूहिक विवाह कार्यक्रम

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2018—2019

मंत्रालय

माननीय मंत्री जी	श्री लखन घनघोरिया
प्रमुख सचिव	श्री जे.एन. कंसोटिया (IAS)
सचिव	श्रीमती अलका श्रीवास्तव (IAS)
उप सचिव	श्री एच.एस. मीना (IAS)

विभागाध्यक्ष

संचालक म.प्र.समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन	श्री बी. चन्द्रशेखर (IAS)
संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (IAS)



1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

अनुक्रमणिका

भाग – एक

1. सामान्य जानकारी	1
2. विभाग की पृष्ठभूमि.....	2
3. विभाग की प्रशासकीय संरचना	3
4. विभाग के दायित्व.....	5
5. विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय	8
6. विभागीय कार्यक्रम.....	11

भाग – दो

7. बजट प्रावधान, व्यय एवं जेण्डर बजट.....	15
---	----

भाग – तीन

8. उपलब्धियां	22
9. विभागीय कार्यक्रमों का विवरण	
• दिव्यांगजन सशक्तिकरण.....	31
• सामाजिक सहायता कार्यक्रम.....	41
• समाज रक्षा	49
• कलापथक	55
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम-2010	56
11. आयुक्त निःशक्तजन	60
12. मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	61

भाग – चार

13. सामान्य प्रशासनिक विषय	64
• संसदीय कार्य	
• विधि विषयक कार्य	
• सूचना का अधिकार, पदोन्नति, नियुक्ति, विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण	
14. आयोजित विभिन्न कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं.....	67
15. सारांश	72
16. परिशिष्ट	73



मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम

भाग - 1



1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस में वरिष्ठजनों की सहभागिता

मध्यप्रदेश एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल

(हजार वर्ग कि.मी.) 308

प्रशासन

संचालनालय	1
संभागीय कार्यालय	7
जिला स्तरीय उप संचालक कार्यालय	44
निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाएँ	20
भिक्षुक गृह	1
वृद्धाश्रम	77
डे-केयर सेन्टर	83
नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र	14
निःशक्त कल्याण की विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ	324

प्रशासकीय इकाई

संभाग	10
जिले	52
कुल तहसील	371
राजस्व अनुभाग	218
विकास खण्ड/जनपद	313
आदिवासी विकास खण्ड/जनपद	89
कुल ग्राम	54,903
कुल ग्राम पंचायतें	22,816
कुल नगर निगम	16
कुल नगर पालिका	98
कुल नगर परिषद	272
कुल नगर	476

जनसंख्या (जनगणना 2011) (लाख में)

कुल जनसंख्या	726.27
पुरुष	376.14
महिला	350.15
ग्रामीण	525.57
शहरी	200.70
अनुसूचित जाति	113.42
अनुसूचित जनजाति	151.36
वृद्धजन	57.13
कल्याणी	21.49
दिव्यांगजन	15.51
ट्रांसजेण्डर	0.29
मजदूर	1.68
साक्षरता दर	70.60

विभाग की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 1.11.1956 से पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का गठन हुआ।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का 7 बार पुर्नगठन हुआ है जिसके तहत एक-एक दायित्व अन्य विभागों को सौपा गया है या नया विभाग गठित किया गया है, जो निम्न तालिका में वर्णित है।

क्रमांक	वर्ष	पुर्नगठन का स्वरूप
1	1961	विभाग से सहकारिता विभाग की योजनाओं को हटाया जाकर पृथक से सहकारिता संचालनालय का गठन हुआ।
2	1977	विभाग से खेलकूद एवं युवक कल्याण को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय खेलकूद एवं युवक कल्याण गठित हुआ।
3	1986	विभाग से महिला एवं बाल विकास को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय महिला एवं बाल विकास गठित हुआ।
4	1994	संचालनालय से प्रौढ शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई।
	2005	पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का नाम परिवर्तित कर पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय रखा गया।
5	2007	नवीन पंचायतराज संचालनालय का गठन होने से सामाजिक न्याय विभाग से पंचायतराज पृथक हो गया।
6	2008	सामाजिक न्याय संचालनालय से स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग को हस्तांतरित। जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों की सेवाएं एवं अंकेक्षण कार्य वित्त विभाग को सौपा गया।
7	2010	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन का दायित्व सामाजिक न्याय संचालनालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौपा जाकर सुधारात्मक सेवा की 26 संस्थाओं को मय अमले के महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित किया गया।
8	2012	मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन
9	2013	विभाग का नाम सामाजिक न्याय से परिवर्तित कर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण किया गया।

विभाग की प्रशासकीय संरचना

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है ।

विभाग में संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रथम श्रेणी ,सहायक संचालक द्वितीय श्रेणी एवं परिवीक्षा अधिकारी के साथ अन्य लिपिकीय वर्ग के पद स्वीकृत है :- संचालनालय का अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ मैदानी अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वर्तमान में संभागीय मुख्यालय के सात संभागों में क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं जिलों में उप संचालक सामाजिक न्याय अपने उपलब्ध अमले के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में निम्न संस्थाएं/आयोग संचालित हैं –

- आयुक्त निःशक्तजन कल्याण
- मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति
- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति

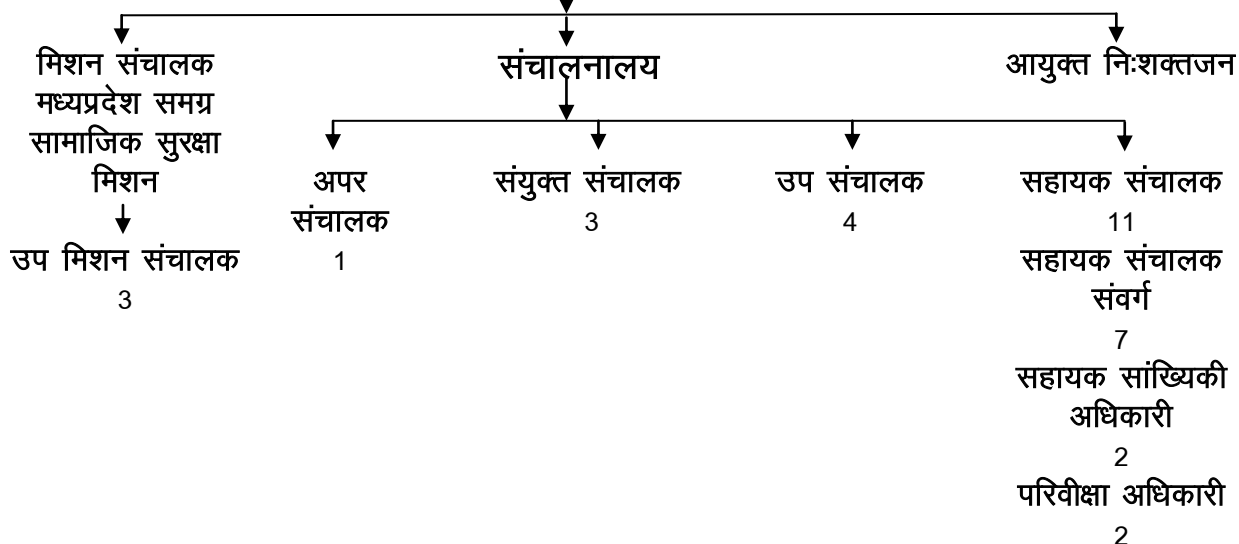
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर

माननीय मंत्री
प्रमुख सचिव
सचिव
उप सचिव
अनुभाग अधिकारी

विभागाध्यक्ष स्तर

आयुक्त/संचालक



संभाग स्तर

संभागीय संयुक्त संचालक— 7

जिला स्तर

उप संचालक—44

सहायक संचालक —27

प्राचार्य/अधीक्षक शासकीय संस्थाएं—21

व्याख्याता शासकीय संस्थाएं—48

नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत
समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी—427

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दायित्व

समाज के गरीब, कमजोर, निर्धन, निराश्रित वरिष्ठजनों, नशापीड़ितों एवं दिव्यांगों के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग द्वारा शासकीय संस्थाओं के साथ-साथ इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने व इनकी जनभागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं :-

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण
- सामाजिक सहायता
- समाज रक्षा
- अन्य कार्यक्रम

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांग कल्याण योजनान्तर्गत दिव्यांग बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये पात्रतानुसार शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन, आवास सहायता, पेंशन योजनाएं, आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं संचालित की जा रही है।

सामाजिक सहायता

प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन, वृद्ध, दिव्यांगजनों के साथ-साथ कन्याओं, कल्याणी (विधवाओं) और परित्यक्त महिला को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिये पेंशन योजनाएं, विवाह सहायता/प्रोत्साहन, परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है।

समाज रक्षा

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के नियम 2009 का क्रियान्वयन। निराश्रित, उपेक्षित वरिष्ठजनों को संरक्षण, भरण-पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वृद्धाश्रमों का संचालन। वरिष्ठजनों को मनोरंजन एवं सामाजिक सहभागिता हेतु डे-केयर सेंटर का संचालन।

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों यथा इंदौर एवं उज्जैन में प्रभावशील है। वर्तमान में एक भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर में स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है।

अन्य कार्यक्रम

अन्य कार्यक्रम अंतर्गत अन्त्योदय मेला, नशामुक्ति कार्यक्रम, कलापथक दल, जागरुकता अभियान, राज्य स्तरीय पुरस्कार इत्यादि संचालित है।

विभाग अंतर्गत प्रचलित अधिनियम/नियम

- दिव्यांगजन
- वरिष्ठजन
- अन्य

अधिनियम

नियम

दिव्यांगजन

- | | |
|---|--|
| ● दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 | मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 |
| ● द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999 | — |

वृद्धजन

- | | |
|--|--|
| ● माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 | मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण नियम 2009 |
|--|--|

अन्य

- | | |
|--|--|
| ● अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 | मध्यप्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम 1960 |
| ● मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 | मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम 1977 |
| ● मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 एवं संशोधित अधिनियम 2006 | मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 |



दिनांक 08 फरवरी 2019 को आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में भाग लेते माननीय मंत्रीजी श्री लखन घनघोरिया सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न कार्यालय

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण,म.प्र.

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-80 के प्रावधान अनुसार सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में दिव्यांगजनो के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसायटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्ध स्वैच्छिक संस्था है। मध्यप्रदेश के सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद/नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा हेतु ऋण, नवयुवक युवतियों के लिए युवा स्वावलम्बन योजना, व्यावसायिक/ट्रेनिंग कोर्स ऋण आबंटन हेतु बिना कोलेटरल गारन्टी के स्वरोजगार व उच्च शिक्षा के लिए योजना प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश में यह नोडल एजेन्सी है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजन को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में निम्नानुसार 4 पृथक-पृथक एजेन्सियों को चैनेलाइजिंग एजेन्सी के रूप में मनोनीत किया गया है :-

- | | | |
|--|----------------------------------|---------|
| 1. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम | अनुसूचित जाति वर्ग के लिए | सदस्य |
| 2. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम | आदिवासी संवर्ग के लिए | सदस्य |
| 3. अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम | अल्पसंख्यक तथा पिछडा वर्ग के लिए | सदस्य |
| 4. म.प्र.विकलांग कल्याण तथा विकास समिति | सामान्य वर्ग के लिए | अध्यक्ष |

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-19/ 34/2003/1/4 दिनांक 4 फरवरी, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश के निःशक्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद के माध्यम से भारत सरकार की मंशा अनुरूप प्रकरण तैयार कर लक्ष्य पूर्ण करने हेतु राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन समिति रजिस्ट्रार फार्म एण्ड सोसाईटी अधिनियम, 1973 से पंजीबद्ध संस्था है। यह समिति प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यरत है। इस समिति के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, दिव्यांग समग्र पुर्नवास की कार्यवाही, सामूहिक विवाह का आयोजन इत्यादि कार्यवाहियाँ की जाती है।

महत्वपूर्ण दिवस

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रति वर्ष निम्न दिवसों का आयोजन किया जाता है :-

मद्य निषेध संकल्प दिवस	30 जनवरी
अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	26 जून
अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
मद्य निषेध सप्ताह	2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर
विश्व विकलांग दिवस	3 दिसम्बर





दृष्टि व श्रवण बाधितार्थ विद्यालय जबलपुर के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भाग लेते माननीय मंत्री श्री लखन घनघोरिया जी

विभागीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
2. बहु विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना
5. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
6. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
7. मुख्यमंत्री निकाह योजना
8. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
9. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10. दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं
11. दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना
12. दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
13. शत-प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना
14. दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस,निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
15. दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
16. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
17. दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
18. कलापथक
19. वृद्धाश्रमों का संचालन/डे-केयर सेंटर/शतायु सम्मान

अन्य कार्यक्रम

- अंत्योदय मेलों का आयोजन
- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना
- मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण केन्द्रीय अनुदान योजना तथा जन-जागरुकता कार्यक्रम
- भिक्षुक केन्द्र का संचालन
- जिला दिव्यांग तथा पुर्नवास केन्द्रों का संचालन
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास (डी.डी.आर.एस.) योजना
- एडिप योजना का संचालन
- सिपडा योजना का संचालन
- अवेयरनेस जनरेशन एण्ड पब्लिसिटी स्कीम (ए.जी.पी.) योजना
- वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरणों का वितरण
- समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSrC) केन्द्रीय अनुदान योजना।
- नशामुक्ति कार्यक्रम

विभागीय पुरस्कार

- इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार
- महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना
- विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार



विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते दिव्यांगजन

भाग - 2

बजट प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2018-19

(राशि लाख रु. में)

शीर्ष/योजना	कुल प्रावधान (अनुपूरक अनुमान सहित)	व्यय 31 मार्च 2019 तक
आयोजना (9999)		
मांग संख्या 34-2235	7071.07	5032.63
मांग संख्या 53-2235	1100.00	134.38
योग	8171.07	5167.01
आयोजना		
मांग संख्या-34+53+64		
0101, 0701, 0801— राज्य आयोजना सामान्य	106696.46	89387.38
0102, 0702, 0802— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	52398.20	41480.10
0103, 0703, 0803— अनुसूचित जाति उपयोजना	41956.81	34151.33
योग	201051.47	165018.81
कुल योग	209222.54	170185.82

जेण्डर बजट

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार महिलाओं को लाभांशित किया जाता है, तथापि विभाग द्वारा निम्न योजनाएं मुख्यतः महिलाओं के लिए संचालित हैं :-

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री निकाह योजना
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्ध, विधवा, अविवाहिता, परित्यक्त महिलाओं हेतु)
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

उक्त योजनाओं में शत-प्रतिशत राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग संबंधित जेंडर मुद्दे, जेंडर गेप, जेंडर विषयक प्रमुख मानकों (Index) की स्थिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से जेंडर मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों में कोई गेप नहीं है।

जेंडर मुद्दों पर विभागों द्वारा पहल (initiative)

विभाग द्वारा जेंडर मुद्दों संबंधी संचालित योजनाओं में शत-प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यतः विवाह, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

केस स्टडी एवं गुड प्रैक्टिस

विभाग द्वारा अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल भोपाल के माध्यम से व्यवहार्यता (feasibility) केस स्टडी कराई गई है।

आगामी रणनीति

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जेण्डर मुद्दों पर द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत योजनाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

वित्त विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी शत-प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 40 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत प्रावधान वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा श्रेणीवार योजनायें निम्नानुसार हैं:-

(राशि लाख में)

योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान वर्ष 2018-19	जेंडर बजट का प्रतिशत	संभावित हितग्राही 2018-19
प्रथम श्रेणी (100 प्रतिशत)			
6692-मुख्यमंत्री निकाह योजना	900.00	100	2265
6710-मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	15000.00	100	50154
5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	41885.10	100	536412
द्वितीय श्रेणी (40 प्रतिशत)			
5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	7620.40	40	39970
6690-माता पिता भरण पोषण योजना	9.12	40	-
7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	8005.00	40	10979
8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	57732.05	40	627850
9142- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	50201.00	40	767002
0073-अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	1170.00	40	-
0075-अंध मूक बधिरों को वृत्तियाँ	791.84	40	-
6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2500.00	40	21652
तृतीय श्रेणी (30 प्रतिशत)			
6694-कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	211.00	30	4026
7083-अंत्येष्टि योजना	107.00	30	751

विभागीय संचालित योजनाओं में बंटन एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2018-19

आयोजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19	स्कूल शिक्षा/स्वास्थ्य/आई.टी.आई./पी.डबल्यू.डी. विभाग को दिया गया बंटन	व्यय दि. 31.03.19	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	{0075}	अंध मूक बधिरों को वृत्तिया	791.84	370.93	286.64	36.20
2	{0073}	अंध मूक बधिर शालाओं को अनु. 002	1170.00	0.00	1002.68	85.70
		बहु विकलांग को सहायता-007	4940.00	0.00	3833.79	77.61
3	{4114}	विश्व विकलांग वर्ष	51.00	0.00	35.09	68.80
4	{8786}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	57732.05	0.00	51854.45	89.82
5	{7084}	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	8005.00	0.00	5489.70	68.58
6	{5863}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	41885.10	0.00	34665.79	82.76
7	{5859}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	7620.40	0.00	4194.20	55.04
8	{6710}	मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना	15000.00	0.00	14999.53	100.00
9	{5442}	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	100.00	0.00	0.00	0.00
10	{9142}	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	50201.00	0.00	42884.63	85.43
11	{6306}	आयुक्त निशक्तजन कार्या.के वेतन भत्ते	18.45	0.00	4.94	26.78
12	{5259}	इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार	1.00	0.00	0.00	0.00
13	{5758}	कुशाभाउ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना	0.01	0.00	0.00	0.00
14	{6554}	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	161.00	0.00	68.94	42.82
15	{5247}	आम आदमी बीमा योजना	1783.72	0.00	0.00	0.00
16	{5614}	जनश्री बीमा योजना	3474.15	0.00	0.00	0.00
17	{0079}	दृष्टि एवं श्रवण बाधित शालाये संस्थाये(वेतन भत्ते)	1829.90	0.00	1385.24	75.70
18	{0831}	कर्मचारी मुख्यालय वृन्द वेतन भत्ते	16.00	0.00	10.32	64.50
19	{6677}	भिक्षुक गृह की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.00
20	{6686}	वृद्धजन हेतु एकीकृत कार्यक्रम	6.00	0.00	0.00	0.00
21	{6688}	नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.00
22	{6690}	माता पिता भरण पोषण योजना	9.12	0.00	0.00	0.00
23	{6691}	दधीचि पुरस्कार योजना	20.30	0.00	0.00	0.00
24	{6692}	मुख्यमंत्री निकाह योजना	900.00	0.00	755.72	83.97
25	{6693}	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2500.00	0.00	2173.20	86.93
26	{6694}	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	211.00	0.00	167.13	79.21
27	{7083}	अन्त्येष्टि सहायता योजना	107.00	0.00	75.10	70.19
28	{7360}	राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग	85.00	0.00	5.11	6.01
29	{7435}	मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग आयोग	0.01	0.00	0.00	0.00
30	{2083}	निःशक्तजनों को बी.एड./बी.पी.एड	20.00	0.00	0.00	0.00
31	{2084}	श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण	220.00	126.98	87.77	39.90
32	{6584}	अंत्योदय मेलों का आयोजन	1192.40	0.00	424.26	35.58
33	{7569}	निःशक्तजनों को बाधारहित वातावरण	1000.00	486.09	614.58	61.46
			201051.47	984.00	165018.81	82.07

विभागीय संचालित योजनाओं में आबंटन एवं व्यय वर्ष 2018-2019
आयोजना (9999)

(राशि लाख में)

क.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2018-19	व्यय दि. 31.03.19	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	{2304}	निर्देशन और प्रशासन	5532.26	3786.09	68.44
2	{5663}	निर्धन वर्ग कल्याण आयोग	60.13	26.22	43.61
3	{3098}	भिक्षुक प्रवेश केन्द्र तथा कर्मशाला	30.56	26.26	85.93
4	{0795}	कलापथक	976.56	761.68	78.00
5	{1985}	दूरदर्शन कार्यक्रम	374.41	335.23	89.54
6	{5258}	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ	97.15	97.15	100.00
7	{2245}	नशाबंदी कार्यक्रम	1100.00	134.38	12.22
		योग	8171.07	5167.01	63.24

भाग - 3



महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जिलों में विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करते हुए

विशेष उपलब्धियां वर्ष 2018-19

1. पेंशन आपके द्वार

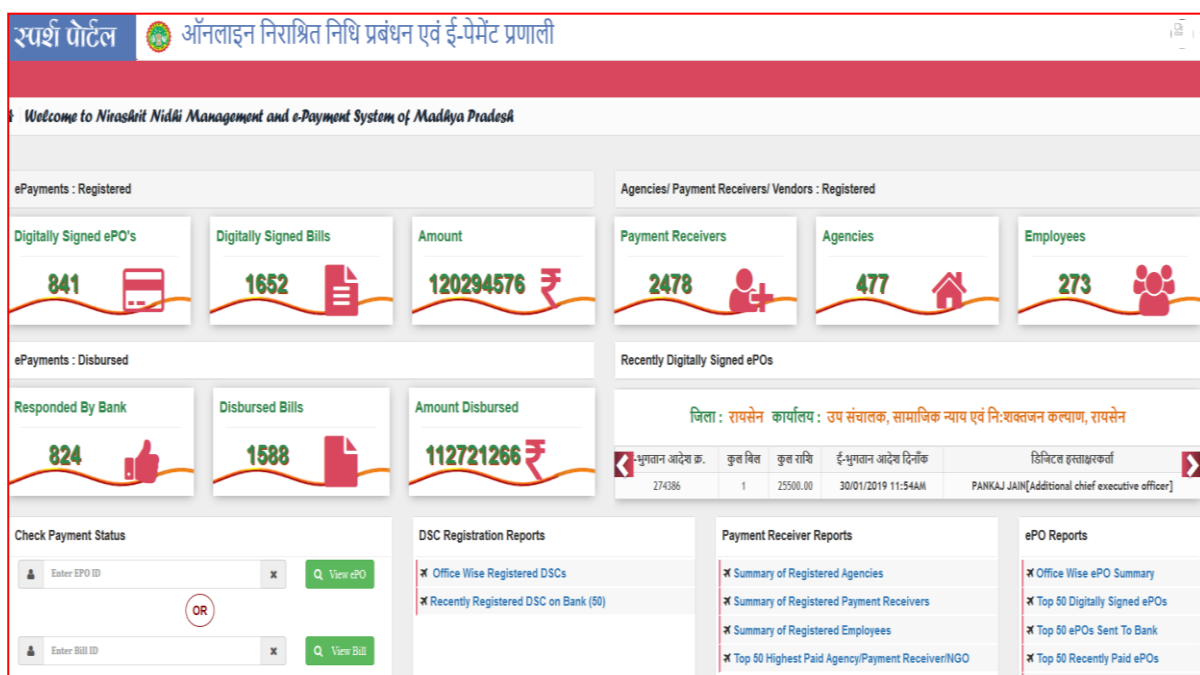
5 कि.मी. से भी अधिक दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान प्रतिमाह की 7 तारीख (यदि 7 तारीख का दिन अवकाश हो तो 6 तारीख) को निकटस्थ स्थान पर बैंक कारस्पोडेंट (बी.सी.) के माध्यम से प्राप्त हो इस हेतु प्रदेश में 'पेंशन आपके द्वार' व्यवस्था 7 अगस्त 2018 से प्रारंभ की गई है। व्यवस्था अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग वृद्ध, कल्याणी और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा के लिये दी जाने वाली पेंशन राशि को उनके गांव पर ही बैंक के माध्यम से वितरित की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों, कल्याणी और दिव्यांग पेंशन हितग्राहियों को घर बैठे पेंशन प्रदाय करना है।



2. ऑनलाईन निराश्रित निधि प्रबंधन एवं ई-पेमेंट प्रणाली

दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से **Nirashrit Nidhi e-Payment and Management System** के माध्यम से निराश्रित निधि का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस निधि का उपयोग जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर आदि संस्थाओं के संचालन व विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। निराश्रित निधि के पारदर्शी एवं नियमानुसार उपयोग हेतु एकीकृत **Nirashrit Nidhi e-Payment and Management System** प्रणाली के माध्यम से जिलों के पृथक-पृथक खातों के स्थान पर राज्य स्तर पर संधारित एक ही बैंक खाते से ई-भुगतान किया जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। बैंक एवं कैश के माध्यम से किसी भी प्रकार का भुगतान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, ताकि ऑनलाईन, पारदर्शी, सरलीकृत एवं ई-पेमेंट आधारित प्रणाली का उपयोग से समस्त व्यय एवं कार्यों की ऑनलाईन मॉनिटरिंग किया जाना संभव हो सके।

नवीन व्यवस्था में निराश्रित निधि के उपयोग हेतु सभी कार्य, एजेंसी, संस्था, वेंडर, सप्लायर, हितग्राही एवं कर्मचारियों को पोर्टल पर रजिस्टर किया जाता है। सभी भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे संबंधित के खाते में होना एवं सभी भुगतान की स्थिति को ऑनलाईन ट्रैक भी कर सकेंगे। इस व्यवस्था से भुगतान में पारदर्शिता आने के साथ-साथ निराश्रित निधि का निराश्रितों, वृद्धजनों एवं दिव्यांगों के कल्याण हेतु बेहतर उपयोग होगा।



3. अशासकीय संस्थाओं का ऑनलाईन प्रबंधन एवं मैनेजमेंट

विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों, वृद्धजनों एवं निराश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास तथा नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय संस्थाओं, अशासकीय संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा संचालित आवासीय/गैर आवासीय संस्थाओं के संचालन एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर राशि ग्रांट के तौर पर दी जाती है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं को मान्यता देने तथा उनके द्वारा संचालित संस्थाओं, गतिविधियों, योजनाओं, कार्यक्रमों की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से अशासकीय संस्थाओं की ऑनलाईन प्रबंधन एवं मैनेजमेंट प्रणाली का शुभारंभ किया गया।

इस प्रणाली के लागू होने से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा उनके द्वारा संचालित होस्टल्स, स्कूल, वृद्धाश्रम, डे-केयर सेण्टर, नशामुक्ति केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं, सेवाओं एवं उनके द्वारा लाभान्वित रहवासियों का डेटाबेस तथा उनकी प्रमाणिक जानकारी एक क्लिक पर होगी। संस्था द्वारा ग्रांट की मांग ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से की जायेगी एवं सभी निरीक्षण प्रतिवेदन व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी।



4. 'एम-पेंशन मित्र' मोबाईल एप

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 1 अक्टूबर 2018 'एम-पेंशन मित्र' मोबाईल एप का शुभारंभ किया गया।

विभाग द्वारा प्रदेश के 42.51 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं का लाभ ऑनलाईन पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रतिमाह की 1 तारीख को सिंगल क्लिक के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं को अधिक सुगमता से जन सामान्य को उपलब्ध कराने हेतु एन.आई.सी. द्वारा "एम. पेंशन मित्र" एप बनाया गया है। इस एप के माध्यम से पेंशनर, जनसामान्य, पंचायत सचिव एवं अन्य सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए जरूरी जानकारियां तथा सेवाएं आसानी से उनके स्मार्ट फोन पर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

एप पर आम जनता विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु अपनी पात्रता जान कर एप के माध्यम से ही पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रेषित कर सकते हैं तथा आवेदन की स्थिति को भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, पेंशन की राशि खाते में जमा होने की पुष्टि व पासबुक भी देख सकते हैं, पेंशनर की राशि खाते में जमा होने की पुष्टि व पासबुक भी देख सकते हैं, पेंशनर की ग्राम-वार सूची, नवीन स्वीकृत व निरस्त किये प्रकरणों की सूची भी देख सकते हैं, ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी एप का उपयोग कर उनके क्षेत्र में 2 माह उपरांत पेंशन योजना हेतु प्रथमदृष्ट्या पात्र व्यक्तियों की सूची भी देख सकते हैं तथा अपने पंचायत के हितग्राहियों के मोबाइल नम्बर, फोटो को अपडेट कर सकते हैं।



5. कन्या विवाह/ निकाह योजना में राशि वृद्धि

सरकार के वचन पत्र की कण्डिका 22.2 'कन्या विवाह सहायता' अंतर्गत कन्या विवाह योजना के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 51,000/- किये जाने, आदिवासी अंचलों में प्रचलित विवाह प्रथा को कन्या विवाह सहायता की पात्रता दिये जाने एवं सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आय सीमा का बंधन नहीं रखे जाने के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं :-

- सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रुपये 3000/-प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रुपये 48000/-संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा करायी जाये।
- आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में कन्या विवाह सहायता की राशि दी जाये।
- शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में समय-समय पर जारी योजना से संबंधित प्रावधान यथावत रखे गये हैं।



6. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-3-5/2018/26-2 दिनांक 03.05.2018 द्वारा प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना' प्रारंभ की गई है। योजना के तहत कल्याणी के विवाह उपरांत रुपये 2.00 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में मार्च 2019 तक 274 कल्याणी को लाभान्वित किया गया है। योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है :-

- कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो,
- विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो,
- कल्याणी आयकरदाता न हो,
- कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से है)

7. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-3-5/2018/26-2 दिनांक 03.05.2018 द्वारा प्रदेश में निवासरत कल्याणी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना' प्रारंभ की गई है। योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी जो आयकरदाता न हो, को प्रतिमाह रुपये 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में मार्च 2019 तक 4,74,897 कल्याणियों को प्रतिमाह पेंशन दी गई है।



योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है :-

- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो,
- कल्याणी आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो,
- कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो,
- कल्याणी अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो,

8. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-3-9/2018/26-2 दिनांक 01.10.2018 द्वारा प्रदेश में निवासरत 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना' प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत अविवाहित महिला जो आयकर दाता नहीं है एवं जिसकी आयु 50 वर्ष या अधिक हो, को प्रतिमाह रुपये 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मार्च 2019 तक 508 हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन दी गई है,, योजनांतर्गत पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है:-

- अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
- अविवाहित महिला की न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो,
- अविवाहित महिला आयकरदाता न हो,
- अविवाहित महिला शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो
- अविवाहित महिला शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
- अविवाहित महिला को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो,

9. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान जिला सीहोर

दिनांक 3 मार्च 2019 को श्रीमती शकुन्ताला डौले गामलिन, सचिव भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर),सीहोर में खोले जाने की आधारशिला रखी गई।



10. विधानसभा निर्वाचन 2018— सुगम एवं समावेशी मतदान हेतु विभाग द्वारा की गई गतिविधियां

प्रदेश में दिनांक 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव संपन्न हुये हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार विभाग सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी गतिविधियों में सहभागी अर्थात् स्वीप पार्टनर के रूप में निरंतर कार्यरत रहा है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 की थीम को 'सुगम मतदान' घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग की इस महत्वपूर्ण पहल में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है क्योंकि विभाग द्वारा मूलतः दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, कल्याणी(विधवा) एवं निराश्रितों के कल्याण, पुर्नवास के लिये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

स्वीप पार्टनर के रूप में की गई कार्यवाही

- सुगम एवं समावेशी मतदान के पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तरीय समिति State Steering Committees on Accessible Election (SSCAE) का गठन
- वोटर अवैयरनेस फोरम (Voter Awareness Forame (VAF)) का गठन
- मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संकल्प पत्र एवं कार्यालयीन पत्राचार में लेटरहेड के फुटर में मतदाता जागरूकता हेतु फुटर नोट का प्रयोग
- गैर शासकीय संगठनों के साथ जागरूकता हेतु बैठकों का आयोजन
- दिव्यांग मतदान दल एवं दिव्यांग मतदाताओं का प्रशिक्षण (मॉकपोल)
- मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर, होर्डिंग एवं बेनर लगाये गये
- सुगम मतदान आवंटन एवं सार्वजनिक उपक्रमों/संगठनों से सहयोग
- कलापथक दल द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन
- मतदाता जागरूकता हेतु रैलियों, दौड़ का आयोजन
- व्हीचेयर व सुगम्य रैम्प, ब्रेल बलेट पेपर, ब्रेल मतपत्र गाइड एवं वाहन सुविधा
- जिला आईकोन एवं दिव्यांग मित्रों की नियुक्ति



विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु 'बेस्ट स्वीप पार्टनर' पुरस्कार

दिनांक 25 जनवरी 2019 को मिन्टो हॉल, भोपाल में 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर **State Award for Best Electoral Practices-2019** अंतर्गत श्रेणी 'बेस्ट स्वीप पार्टनर' हेतु संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।



10. राष्ट्रीय मतदाता दिवस

दिनांक 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता पर शपथ दिलाई गई।



25 जनवरी

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

आइये!



आज के दिन मतदाताओं को उनके मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक करें।

मतदाता नामावली में नाम जोड़ने संशोधन करने, निरसन एवं नवीन पता जुड़वाने हेतु आवेदन करें।



विभागीय कार्यक्रम

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 प्रदेश में प्रभावशील है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

मध्यप्रदेश में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में 324 विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें से सहायक अनुदान योजनान्तर्गत 38 स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सूची परिशिष्ट में।

उक्त संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षण-प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2018-19 में रुपये 1170.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 1002.68 लाख व्यय किया गया। मार्च 2019 तक 2093 दिव्यांग बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

केन्द्रीय अनुदान

दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में दिव्यांग व्यक्तियों के उपचार, शिक्षण-प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित रु. 2744.73 लाख के सहायक अनुदान संबंधी 85 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

कुष्ठ कल्याण योजना

कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में 3 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2018-19 में रुपये 71.28 लाख का बजट प्रावधान अंतर्गत मार्च 2019 तक 108 हितग्राही परिवार को लाभान्वित हुए हैं।



माननीय मंत्रीजी श्री लखन घनघोरिया जी द्वारा जिला जबलपुर में संचालित शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते

दिव्यांग पेंशन योजना

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को रुपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।
2. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हैं, उनको प्रतिमाह रुपये 600/- की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी एवं बहुविकलांग को रुपये 600/- (रुपये पांच सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत माह मार्च 2019 तक 74,005 दिव्यांगजन लाभान्वित हुये हैं।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

दम्पति में से एक दिव्यांग तथा एक सामान्य होने पर रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी एवं दोनों के दिव्यांग होने पर रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) एक मुश्त सहायता राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय निराश्रित निधि से किया जाता है, यदि दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रुपये 51,000/- अतिरिक्त सहायता दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12.8.2008 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत मार्च 2019 तक 1282 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।



दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन

दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु वर्ष 2008 से राज्य द्वारा टोल फ्री दूरभाष हेल्प लाईन नंबर 1800-233-4397 निरंतर संचालित है, जिसमें मार्च 2019 की स्थिति में 229000 दिव्यांगजन लाभान्वित हुये हैं। केन्द्र सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों हेतु हेल्प लाईन नम्बर 1800- 233- 5956 प्रारंभ किया है।



विभाग अंतर्गत जिलों में दिव्यांगजनों हेतु आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

विभिन्न योजनाओं में लाभांशित हितग्राही

(मार्च 2019 की स्थिति में)

क्रमांक	योजना	हितग्राही	
		वित्तीय वर्ष 2017-18 में मार्च 2018 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2018-19 में मार्च 2019 की स्थिति में
1	छात्रवृत्ति	48,770	48,695
2	शिक्षा प्रोत्साहन योजना <ul style="list-style-type: none"> लेपटाप वितरण मोट्रेट साईकिल वितरण 	107 433	336 555
3	उच्च शिक्षा हेतु फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	99	169
4	छात्रगृह योजना(आवास सहायता योजना)	115	81
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन	25	19
6	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण	21986	13,470
7	दिव्यांग पेंशन	3,33,896	3,62,585
8	ऑटिज्म, सेरेबल पॉलसी, मानसिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगजनों को सहायता	70,303	74005
9	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	1321	1282
10	यूडीआईडी कार्ड	2,20,455	3,06,979

दिव्यांग विवाह में वर्षवार लाभांशित हितग्राही एवं व्यय की स्थिति

वर्ष	हितग्राही	व्यय (लाख में)
2008-09	103	25.75
2009-10	207	53.00
2010-11	738	144.82
2011-12	1141	286.96
2012-13	1775	369.77
2013-14	1514	498.50
2014-15	779	214.50
2015-16	1058	599.50
2016-17	1267	735.50
2017-18	1321	1016.50
2018-19 (मार्च 2019 तक)	1282	1930.00
योग	11185	5874.80

विश्व विकलांग दिवस

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के सामर्थ्य एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में रुपये 51.00 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर दिव्यांग बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद, सांस्कृतिक, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण

दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु **40 दृष्टिबाधित** तथा **112 श्रवण बाधितों** को इस प्रकार कुल **152 निःशक्तजनों** को विभिन्न ट्रेड में प्रवेशित कराया गया है। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय स्थित आईटीआई में श्रवण बाधितों हेतु **6 Interpreters** की व्यवस्था की गई।

इन आई.टी.आई. में विभिन्न ट्रेड्स यथा कोपा, एम.ओ.एम., विद्युत, प्रोडक्शन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रानिक्स, सिविल, फेशन डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग, आफिस असिस्टेंट आदि ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाता है।

मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

सहायता का स्वरूप

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री	पात्रता शर्तें
दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं मंदबुद्धि	लेपटॉप	9वीं में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होन पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)
अस्थिबाधित	लेपटॉप	9वीं में प्राप्तांक 60 प्रतिशत होन पर 10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आईटीआई में प्रवेश लेने पर। (एक ही बार)
अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता)	मोट्रेट ट्रायसिकल (बैटरी चालित)	10 वीं प्रथमबार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर (एक ही बार)

नोट : दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा 10 में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटाप प्राप्त करने पर आईटीआई में प्रवेश लेने पर पात्रता नहीं आयेगी।



जिलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण

निराश्रित निधि

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 संशोधित 1994, 2006 तथे म0प्र0 निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 बनाये गये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत कृषि उपज पर क्रेताओं से संग्रहित निराश्रित शुल्क की राशि का निराश्रितों पर व्यय प्रावधानित किया गया है।

प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है –

- (नियम 3) में उपनियम (5) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 अनुसार निःशक्तता की परिभाषा पूर्व से है। इसमें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित निःशक्तता आर्टिज्म, सेरेब्रलपल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी एवं मेंटल रिटार्डेशन को भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही विधवा/परित्यक्ता तथा 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ निराश्रित बच्चों को भी जोड़ा गया है।
- (नियम 5) में उपनियम (3) अशासकीय भूमि के मामले में सरकार के नाम पर उसे रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा तथा सरकार के पक्ष में न्यूनतम दर पर लीज निष्पादित की जाएगी।
- (नियम 6) (4) भवन निर्माण में कलेक्टर को रु0 5 लाख तक तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय को रु. 1 करोड़ (एक करोड़) की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित है।
- नियम-6 (5) भवन निर्माण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
- नियम-6 (6) भवन के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु राजधानी परियोजना प्रशासक/म0प्र0 गृह निर्माण तथा अधोसंरचना विकास मंडल को सम्मिलित किया गया है।
- (नियम 8) (2) वृद्धाश्रम/विशेष शालाओं की स्थापना करते समय कलेक्टर फर्नीचर, पलंग, वस्त्र, बिस्तर, टेबल, कुर्सी, खाना बनाने के बर्तन, टी.व्ही. के फर्नीचर आदि की स्वीकृति दे सकेगा तथा 5 वर्ष पश्चात पुनः स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।
- (नियम-8) (3) आश्रम में निवासरत अंतःवासियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में रु. 20,000/- (बीस हजार) की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी।
- (नियम 10) (4) प्रयोजक को बिजली, पानी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- (नियम 10) (7) कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर किसी अंतःवासी के इलाज पर अधिकतम रु. 5,000/- प्रतिवर्ष व्यय स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

- **नियम 11(ख)** सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन से, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत म0प्र0 राज्य बीमारी तथा स्थायी निःशक्तता निधि के अंतर्गत चिन्हित शल्य क्रिया तथा अंगमर्दिका के उपचार के लिए कलेक्टर द्वारा रु. 5 लाख तक की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की जा सकेगी ।
- **नियम 11 (ठ) नियम 3** में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर, पैथोलाजी टेस्ट जैसे, एक्स-रे, सी.टी.स्केनिंग, एम.आर.आई, एंजियोग्राफी, टी.एम.टी., इको-कार्डियोग्राफी के लिये रु. 10,000/- स्वीकृत कर सकेगा ।
- **नियम (12) (1)** जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय नियम 11 के खण्ड (घ) के प्रयोजन हेतु रु. 10,000/- एक माह में तथा वार्षिक रु. 1.00 लाख व्यय के अधिकार ब्याज की राशि से दिये है ।
- **(नियम 13) (1) में प्रतिस्थापित किया गया है** – आश्रम के अंतःवासियों की अंत्येष्टी संस्कार हेतु रु. 2000/- की स्वीकृति कलेक्टर दे सकेगा ।
- **(नियम 13) (2)** ऐसे व्यक्ति के शव जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो एवं जो निराश्रित हो की अंत्येष्टि संस्कार हेतु रु. 2000/- की स्वीकृति कलेक्टर दे सकेगा ।
- **(नियम 13) (3)** निःशक्त, निराश्रित एवं वृद्ध व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उपचार एवं उनके जीवन निर्वाह हेतु तत्काल आकस्मिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता होने पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन पर राज्य निराश्रित निधि से रु. 2000/- मंजूर किया जा सकेगा ।
- **(नियम 14) (1)** कर्मचारीवृंद की नियुक्ति (क) वृद्धाश्रम, (ख) विशेष शाला, (ग) छात्रावास के उचित पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंध के लिए, आश्रम की आवश्यकता अनुसार सरकार द्वारा अवधारित दर के अनुसार पदों को संविदा आधार पर भरे जाने हेतु कलेक्टर अग्रसर हो सकेगा ।
- **नियम (19) (1) (ख)** जिला स्तर पर संग्रहित की गई निराश्रित निधि की 20 प्रतिशत रकम, राज्य निराश्रित निधि में प्रति वर्ष जमा की जाएगी ।

जिलों हेतु निराश्रित निधि के अनुमोदित बजट अनुसार प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर राशि के व्यय हेतु कलेक्टर स्वयं सक्षम होंगे ।

निराश्रित निधि के माध्यम से संचालित कार्यक्रम

- निराश्रितों के लिये वृद्ध आश्रमों/डे-केयर सेंटर की स्थापना एवं संचालन।
- निःशक्त बच्चों के लिये रहवासी अथवा गैर रहवासी विशेष शालाओं की स्थापना/संचालन तथा निराश्रितों एवं निर्धनों के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन।
- शत प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना संचालन।
- कृत्रिम अंग सहायक उपकरणों का प्रदाय।
- जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्रों का संचालन।
- मानसिक बीमारी के इलाज पश्चात डिस्चार्ज व्यक्तियों के लिए लांग स्टे होम की स्थापना व संचालन।
- निराश्रितों के कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय, निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्यशाला सेमीनार, प्रदर्शन, चलित इकाइयों की स्थापना समुदाय आधारित पुनर्वास योजना आदि।



सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के कार्यक्रम

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को उनकी पात्रतानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 200/- केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा रु0 400/- (राज्यांश) इस प्रकार कुल रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 500/- केन्द्रांश एवं रु0 100/- कुल रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही



योजनान्तर्गत बजट आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :- (राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (मार्च 2019 तक)	हितग्राही
2018-2019	57732.05	51854.45	15,69,627

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को प्रतिमाह रु. 300/- केन्द्रांश एवं रु. 300/- राज्यांश इस प्रकार कुल रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत बजट आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (मार्च 2019 तक)	हितग्राही
2018-2019	41885.10	34665.79	5,36,412

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 1.4.2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत 80 प्रतिशत निःशक्तता होना चाहिए, को प्रतिमाह रु. 300/- केन्द्रांश एवं रु. 300/- राज्यांश इस प्रकार कुल रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही भुगतान किया जा रहा है। योजनांतर्गत बजट आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-



(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (मार्च 2019 तक)	हितग्राही
2018-2019	7620.40	4194.20	99,924

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री/पुरुष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रुपये 20,000/-की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

योजनांतर्गत बजट आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (मार्च 2019 तक)	हितग्राही
2018-2019	8005.00	5489.70	27,448

पेंशन योजनाएं : योजनाओं के नाम व पात्रता की शर्तें

क्र.	योजना का नाम	लाभ (प्रतिमाह)	पात्रता की शर्तें
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बीपीएल वृद्ध। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के बीपीएल वृद्ध
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की बीपीएल विधवा
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के बीपीएल दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 80 या अधिक हो।
4	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिये। आवेदक दंपत्ति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो दंपत्ति की केवल पुत्री संतान होना चाहिये।
5	6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/ मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 6 वर्ष से अधिक आयु के ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – वृद्धजन	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध
7	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – वृद्ध अंतःवासियों	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धाश्रम में निवासरत अंतःवासी
8	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – परित्यक्त	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की बीपीएल परित्यक्तता
9	सामाजिक सुरक्षा पेंशन – दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 06 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक हो
10	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – दिव्यांग	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के दिव्यांग 80 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जो आयकर दाता न हो।
11	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – कल्याणी(विधवा)	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु की कल्याणी (विधवा) 79 वर्ष से अधिक आयु की कल्याणी (विधवा) कल्याणी (विधवा) आयकरदाता, शासकीय कर्मचारी न हो।
12	मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना	रु. 600 /—	<ul style="list-style-type: none"> 50 वर्ष से 79 वर्ष आयु की अविवाहित महिला 79 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अविवाहित महिला आयकर दाता न हो।

प्रदेश सरकार के कार्यक्रम

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।

पात्रता के मापदण्ड

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो
2. 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध
3. 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा (कल्याणी)
4. 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता
5. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों।
6. 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो को 'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि'
7. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं जो आयकरदाता न हो
8. वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।



पेंशन की दर : रुपये 600/- प्रतिमाह

योजनांतर्गत बजट आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (मार्च 2019 तक)	हितग्राही
2018-2019	50201.00	42884.63	19,17,505

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

ऐसे दम्पति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं है, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो, को 600/- रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत बजट आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (मार्च 2019 तक)	हितग्राही
2018-2019	2500.00	2173.20	54129



मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

सहायता

शासन आदेश दिनांक 14.01.2019 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं :-

- शासन आदेश दिनांक 18.12.2018 की कण्डिका 1 में वर्णित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रुपये 3000/-प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रुपये 48000/-संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा कराई जाये।
- शासन आदेश दिनांक 18.12.2018 की कण्डिका 2 में वर्णित आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में कन्या विवाह सहायता की राशि दी जाये।
- शासन आदेश दिनांक 18.12.2018 की कण्डिका 3 एवं 4 यथावत रखी गई है। कण्डिका 3 अनुसार शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है एवं कण्डिका 4 अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में समय-समय पर जारी योजना से संबंधित प्रावधान यथावत रखे गये हैं।

प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2006 से मार्च 2019 कुल 4,81,367 कन्याओं के विवाह संपन्न कराया जाकर 88563.28 लाख की आर्थिक सहायता प्रदाय की गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत वर्षवार आवंटन, व्यय एवं लाभांशित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार तालिका में वर्णित है :-

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2006-2007	1000.00	1327.00	13,498
2007-2008	1920.00	1362.00	33,321
2008-2009	2618.00	4329.00	43,737
2009-2010	2500.00	2485.00	19,597
2010-2011	3801.00	3964.70	39,647
2011-2012	4201.00	4156.40	36,651
2012-2013	6787.80	6787.80	45,252
2013-2014	12592.00	10452.22	55,334
2014-2015	10915.00	6074.59	20,077
2015-2016	20679.20	11775.29	44,835
2016-2017	15436.81	11204.87	44,818
2017-2018	15000.00	9644.88	34,446
2018-2019 (March 2019)	15000.00	14999.53	50,154
कुल	112450.81	88563.28	4,81,367

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना हेतु प्रस्तावित कैलेंडर वर्ष 2019

क्र.	माह	मुख्यमंत्री कन्या विवाह की तिथियां	मुख्यमंत्री कन्या निकाह की तिथियां
1	जनवरी	17 एवं 31	9 एवं 27
2	फरवरी	10 एवं 15	5 एवं 17
3	मार्च	8 एवं 14	3 एवं 20
4	अप्रैल	15, 19 एवं 22	11 एवं 21
5	मई	6 एवं 30	2
6	जून	4, 17 एवं 25	9 एवं 16
7	जुलाई	6 एवं 10	10 एवं 21
8	अगस्त	निरंक	25
9	सितम्बर	निरंक	निरंक
10	अक्टूबर	निरंक	16 एवं 27
11	नवम्बर	22 एवं 28	14 एवं 24
12	दिसम्बर	5 एवं 12	4 एवं 15

नोट :- उपरोक्त तिथियों के अतिरिक्त जिले के कलेक्टर स्थानीय सामाजिक रीति-रिवाजों के दृष्टिगत, अपने जिले हेतु नवीन तिथियां भी निर्धारित कर सकते हैं।



मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रुपये 51,000/- प्रदान की जाती है। जिसमें 48000 रुपये कन्या के बचत खाते में तथा 3000 रुपये आयोजक के खाते में जमा कराये जाते हैं। योजनान्तर्गत अभी तक कुल 13,344 कन्याओं के निकाह संपन्न कराया जाकर 2796.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदाय की गई। मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की वर्षवार जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2012-2013	200.00	260.90	1,766
2013-2014	800.00	474.60	2,579
2014-2015	200.00	123.25	1,248
2015-2016	500.00	381.31	2,139
2016-2017	900.00	329.47	1,666
2017-2018	1000.00	470.75	1,681
2018-2019 (मार्च 2019)	900.00	755.72	2,265
कुल	4500.00	2796.00	13,344



अन्त्योदय मेला (आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम)

प्रदेश में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को प्राप्त हो इस दृष्टि से समस्त जिलों में अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 अंतर्गत आयोजित मेलों, बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न तालिका अनुसार है :-

वर्ष	आवंटन	व्यय (मार्च 2019)	(राशि लाखों में) मेले
2018-2019	1192.40	424.26	115



अन्त्येष्टि सहायता योजना

योजना 13 अगस्त 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत मृतक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य होने पर एवं लावारिस शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं हो, उनके अंतिम संस्कार हेतु राशि रुपये 3000/- की सहायता प्रदान की जाती है। योजनांतर्गत बजट आवंटन, व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्न तालिका अनुसार है :-

वर्ष	आवंटन	व्यय (मार्च 2019)	(राशि लाखों में) मेले
2018-2019	107.00	75.10	2503

समाज रक्षा

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को, जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हो, को कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरणों पर परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश पारित किया जाता है तथा निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने का आदेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं।

भिक्षावृत्ति निवारण योजना

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973 वर्तमान में इन्दौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में प्रभावशील है। इसके अन्तर्गत एक भिक्षुक प्रवेश गृह एवं प्रमाणित संस्था इन्दौर में संचालित हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में कुल 20 भिक्षुकों को लाभांविता किया गया।

शतायु सम्मान

1 अक्टूबर 2018 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वृद्धजनों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया गया।



वृद्धाश्रम

वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण, पुनर्वास एवं संरक्षण के लिये प्रदेश में वृद्धाश्रमों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इन वृद्धाश्रमों में उपेक्षित, निराश्रित एवं जरूरतमंद वरिष्ठजनों को आश्रय, भरण—पोषण, चिकित्सकीय परीक्षण, उपचार एवं मनोरंजन व पुनर्वास की सुविधाएं मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वरिष्ठजनों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु अवसर प्रदान किया जा सके।

माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील हैं। अधिनियम के अध्याय—3 में धारा—19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत वृद्धाश्रमों की स्थापना करने का प्रावधान नीहित है।

प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों के माध्यम से **77 वृद्धाश्रम संचालित** हैं। इन संस्थाओं को निराश्रित निधि से अनुदान दिया जाता है। सूची परिशिष्ट में दर्शित है।

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (IPSrC) योजना अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों का अनुरक्षण व संचालन, अल्जाइमर्स डिमेंशिया बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिये सतत देखभाल गृह, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में संवेदनशीलता जागृति कार्यक्रम, वरिष्ठजनों के लिये जागरूकता सृजन कार्यक्रम के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

डे केयर सेंटर

वरिष्ठ नागरिकों को अवसाद से बचाने व दिन में समय व्यतीत करने तथा समूह में संवाद करने के लिये डे केयर सेंटर की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। डे केयर सेंटर में वरिष्ठजनों के मनोरंजन हेतु कैरम, शतरंज, पठन पाठन हेतु पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टी.व्ही. आदि की व्यवस्था होती है। इनका संचालन स्थानीय नगरीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाएं तथा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। **प्रदेश में 83 डे केयर सेंटर संचालित** हैं। सूची परिशिष्ट में दर्शित है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से प्रभावशील।
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा म0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009, अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 से प्रभावशील।
- धारा 7 (1) के तहत प्रदेश के समस्त जिलों के 359 उपखण्डों में भरण पोषण अधिकरण गठित।
- धारा 15 (1) के तहत प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण गठित।
- धारा 18 (1) के तहत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के समस्त जिला अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अभिभावक में सगे और दत्तक माता पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं।
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है, जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक संज्ञेय अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/- का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।
- अधिकरण द्वारा मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/- प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है।
- सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है तथा चिकित्सालयों में विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

- भरण पोषण अभिकरण 359
- अपीलीय अभिकरण 51
- भरण पोषण अभिकरणों में वर्ष 2018-19 में 541 प्रकरण दर्ज, जिसमें 363 का निराकरण किया गया।

मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 (संशोधन)

- मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 का नियम 21 में उप नियम (2) जोड़कर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य परिषद् का गठन किया गया है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम 2(1) में खण्ड (घ) के पश्चात् (घ क) में 'म.प्र. शासन के अधीन कार्यरत् शासकीय विभाग, अर्द्ध शासकीय उपक्रम, बोर्ड, निकायों के अधिकारी, कर्मचारी जो अपने माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत या अधिकतम 10,000/- काटकर, भरण-पोषण भत्ता, आवेदक माता-पिता के बैंक खातों में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

वरिष्ठजन हेल्प लाईन

- वरिष्ठजनों हेतु टोल फ्री हेल्प लाईन नम्बर 1800-233-1253 दिनांक 11 जून 2018 से हेल्प एज इंडिया शाखा भोपाल के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत वरिष्ठजनों को आपातकालीन जैसे दुर्घटना, दुर्व्यवहार से बचाव की स्थिति में सेवा प्रदान की जाती है, यह सेवा बुजुर्गों की सहायता हेतु 24 घण्टे उपलब्ध है।
- सेवा अंतर्गत मार्च 2019 की स्थिति में 4,883 हितग्राही को लाभान्वित किया जा चुका है।

वरिष्ठजन रोजगार ब्यूरो

- ऐसे वरिष्ठजन जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों के संस्थाओं से सेवानिवृत्ति हो चुके हैं को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर पुनः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठजन रोजगार ब्यूरो प्रारंभ किया गया है।
- योजना अंतर्गत 84 पंजीकृत एवं 22 वरिष्ठजनों को रोजगार प्रदाय किया गया है।

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज में नशा सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर युवा वर्ग को नशे की लत से दूर करने के लिये प्रचार-प्रसार के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को बताया जाकर, नशामुक्ति के लिये वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस हेतु कलापथक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलामण्डलियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत, 31 मई 'अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस', 26 जून 'अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस' 2 से 8 अक्टूबर 'मद्य निषेध सप्ताह' तथा 30 जनवरी को 'संकल्प दिवस' का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया। इस अवसर पर मानव श्रृंखला, मैराथन दौड़, रैली, नशामुक्ति प्रदर्शनी विज्ञापन तथा शासकीय कलापथक दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित कराये गये हैं।

नशामुक्ति के लिये सघन प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिये विभागीय मान्यता प्राप्त 253 स्वैच्छिक संस्थाएँ कार्यरत हैं।

भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 14 नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं।

नशामुक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना

योजना 16 फरवरी 2018 से प्रारंभ है। प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत जहां निवासरत युवा, वृद्ध तथा महिलाएं नशामुक्त जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसी नशामुक्त ग्राम पंचायत को नशामुक्ति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार राशि रुपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र (प्रति जिला प्रति पंचायत) दिया जाता है।

योजना के लाभ हेतु संबंधित ग्राम पंचायत आवेदन पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करते हैं। कुल प्राप्त प्रविष्टियों में से निर्णायक मण्डल द्वारा नशामुक्ति की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायत का चयन पुरस्कार हेतु किया जाता है। चयनित ग्राम पंचायत को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कार राशि व प्रशंसा पत्र दिया जाता है।



नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु विभाग अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

कलापथक योजना

प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकगीत लोकनाट्य एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1955 से निरंतर विभाग में कलापथक योजना संचालित है। योजना के तहत प्रदेश के 38 जिलों में एक कलापथक इकाई कार्यरत है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कलापथक दल में एक प्रमुख कलाकार एवं सात सहयोगी कलाकार रहते हैं। जिसमें प्रत्येक दल को प्रति माह में कुल 12 कार्यक्रम प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।



पुरस्कार योजनाएं

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना

राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/संस्था को निःशक्त कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना दिनांक 14.8.2008 से प्रारंभ की गई है। उक्त पुरस्कार विकलांगता की चारों श्रेणियों अस्थिबाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता के क्षेत्र में पृथक-पृथक प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप रुपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रुपये 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार रुपये 25 हजार, शाल श्रीफल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय समाज सेवा पुरस्कार देने की योजना है। प्रदेश में निवास कर रहे दिव्यांग, वृद्ध दुर्बल एवं निराश्रित व्यक्तियों, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में राशि रुपये एक लाख एवं प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है।

विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार

नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान करने की योजना संचालित है। नशामुक्ति की दशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी/स्वैच्छिक संगठन को विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर राशि रुपये 10 हजार, राज्य स्तर पर रुपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010

मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2010 से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की 16 सेवाओं को इस अधिनियम में अधिसूचित किया गया है।

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
2	7.2 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
3	7.3 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत		अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व		संभागायुक्त कलेक्टर
4	7.4 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
5	7.5 राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर
6	7.6 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त कलेक्टर

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	7.7 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अ) सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन ब) गैर- सामूहिक विवाह करने पर लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
8	7.8 मुख्यमंत्री निकाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	15 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
9	7.9 मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/ छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना	संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
10	7.10 निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना	संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
11	7.11 मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना	संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	सेवा प्रदान की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	7.12 छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कलेक्टर	30 कार्य दिवस	कलेक्टर संभागायुक्त
13	7.13 निःशक्त विद्यार्थियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
14	7.14 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना	संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	07 कार्य दिवस	कलेक्टर
15	7.17 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीयन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
16	7.18 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	07 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

नोट :- सेवा क्रमांक 7.15 में संशोधन तथा 7.16 एवं 7.19 को विलोपित करने हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग को लिखा गया है।

आयुक्त निःशक्तजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 79 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में श्री संदीप रजक, आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ है।

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश को अधिनियम के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के कृत्य निम्नानुसार है :-

- स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंधों या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत है और आवश्यक सुधारकों उपायों की सिफारिश करेगा,
- स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जांच करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले उठायेगा,
- इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की समीक्षा करेगा,
- उन कारकों का पुनर्विलोकन करेगा जो दिव्यांगजनों के अधिकारों का उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधारकारी उपायों की सिफारिश करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसका संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा,
- दिव्यांगजनों के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करेगा,
- दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करेगा, और
- ऐसे अन्य कृत्यों को करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

अधिनियम की धारा 82 के अनुसार आयुक्त निःशक्तजन की शक्तियाँ

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना,
- (ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना,
- (घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, और
- (ङ) किसी साक्षी या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

दिव्यांगजनों की प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों का निराकरण

आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश के न्यायालय में 130 प्रकरण इस वर्ष पंजीकृत हुए हैं। जिनमें सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

पात्रता से अधिकारिता की ओर बढ़ते कदम...



राज्य शासन के विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करने एवं सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए विभिन्न योजनाओं के एकीकृत पटल की स्थापना के उद्देश्य हेतु मध्यप्रदेश की विधानसभा में दिनांक 14 मई 2010 को 'संकल्प क्रमांक-37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम' पारित किया गया।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों व सदस्यों का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया गया। समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, पंजीकृत श्रमिकों, दिव्यांगजनों के साथ-साथ कन्याओं, कल्याणियों और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों, सम्पूर्ण परिवार एवं सदस्यों को पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं जैसे कि— पेंशन, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ संबंधित विभाग द्वारा दिया जा रहा है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्य

- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकृत करना तथा समस्त हितग्राही मूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारदर्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना तथा राज्य शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डेटाबेस तैयार करना और संधारित करना।
- हितग्राही के लिए यथा संभव एक ही स्थान पर सभी सुविधा मुहैया कराना।
- समय-समय पर मिशन के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों का अध्ययन, अनुसरण करना।
- राज्य शासन द्वारा सौंपे गये कार्य को मिशन के अन्तर्गत संचालित करना।

भाग - 4



1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करते चिकित्सक

सामान्य प्रशासनिक विषय

संसदीय कार्य

वर्ष में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजे गये ।

सूचना का अधिकार

विभाग की सभी योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में जनसामान्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मार्च 2019 की स्थिति में निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है :-

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
78	78	0

विभागीय स्थापना से संबंधित विषय

विभागाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत पद

1	आयुक्त / संचालक	आई.ए.एस.	1
2	संचालक, मिशन	आई.ए.एस.	1
3	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	3
5	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	4
6	कार्यपालन यंत्री	प्रथम श्रेणी	1
7	सहायक संचालक संवर्ग	द्वितीय श्रेणी	17
8	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	2

क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद

1	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	7
2	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	44
3	प्राचार्य शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय, जबलपुर	प्रथम श्रेणी	1
4	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	27
5	सहायक यंत्री (स.संचा. तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
6	ज्येष्ठ तांत्रिक सहायक	द्वितीय श्रेणी	1
7	अधीक्षक, भिक्षुक प्रवेश केन्द्र	द्वितीय श्रेणी	1
8	अधीक्षक, श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
9	अधीक्षक, दृष्टि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
10	अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर	द्वितीय श्रेणी	1
11	अधीक्षक, राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर	द्वितीय श्रेणी	1
12	अधीक्षक, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह	द्वितीय श्रेणी	7
13	अधीक्षक, अस्थि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	2

14	संभागीय व्यवस्थापक	द्वितीय श्रेणी	6
15	व्याख्याता, दृष्टिबाधित	द्वितीय श्रेणी	22
16	व्याख्याता, श्रवणबाधित	द्वितीय श्रेणी	18
17	व्याख्याता, अस्थिबाधित	द्वितीय श्रेणी	8
18	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	10
19	समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी	तृतीय श्रेणी	427

पदोन्नति

वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं हुई है।

नवीन नियुक्ति

वर्ष के दौरान 51 नवीन नियुक्ति हुई है।

समयमान वेतनमान

वर्ष 2018-19 में तृतीय श्रेणी के 36 कर्मचारियों को एवं चतुर्थ श्रेणी के 01 कर्मचारी को समयमान वेतनमान प्रदान किया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति

वर्ष के दौरान 09 अनुकम्पा नियुक्ति हुई है।

विभागीय जांच

विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है —

संवर्ग	वर्ष 2018 प्रारम्भ में लंबित	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	मार्च 2019 अंत तक लंबित प्रकरण
--------	------------------------------	-------------------------	----------------	--------------------------------

शासन स्तर

प्रथम श्रेणी	7	0	1	6
द्वितीय श्रेणी	—	—	—	—

संचालनालय श्रेणी

प्रथम श्रेणी	—	—	—	—
द्वितीय श्रेणी	3	1	4	—
तृतीय श्रेणी	1	1	—	2
चतुर्थ श्रेणी	—	1	—	1

न्यायालयीन प्रकरण

अप्रैल, 2018 तक की स्थिति में प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या
72	13	85

वादोत्तर की स्थिति

गत वर्ष के वादोत्तर हेतु प्रचलित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक प्रस्तुत किये गये वादोत्तर की संख्या	मार्च 2019 की स्थिति में शेष लंबित वादोत्तर की संख्या
72	13	16	19

निर्णय पालन की स्थिति

अप्रैल 2018 की स्थिति में पालन हेतु लंबित निर्णय की संख्या	अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक प्राप्त निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक पालन किये गये निर्णयों की संख्या	मार्च 2019 को पालन हेतु शेष निर्णयों की संख्या	निर्णय की संख्या जिनके विरुद्ध अपील/विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत/प्रस्तावित है।	अवमान ना प्रकरणों की संख्या
6	0	1	5	0	4



वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं

1. सीनियर सिटीजन फोरम का गठन

3 जून 2018 को सीनियर सिटीजन फोरम में वरिष्ठजनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पंजीयन का शुभारंभ किया गया।



2. विश्व पर्यावरण दिवस

दिनांक 05 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस संचालनालय परिसर में पौधारोपण कर बनाया गया।



3. राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम देश में प्रभावशील है। प्रदेश में अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 09.05.2018 को राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिनियम/नियम के तहत विभागों को कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।



4. अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस

दिनांक 31.05.2018 को अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशाल मानव श्रृंखला एवं रैली का आयोजन भोपाल में किया जाकर तम्बाकू के दुष्परिणाम से आमजन को अवगत कराया गया।



5. जन जागृति एवं नशामुक्ति अभियान रैली

दिनांक 26.06.2018 को अंतर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के अवसर पर रैली का आयोजन भोपाल में किया जाकर नशे के दुष्परिणाम से आमजन को अवगत कराया गया।



6. दिनांक 16.06.2018 राष्ट्रीय काव्य प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण

दिनांक 16.06.2018 को राष्ट्रीय काव्य प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन अशासकीय संस्था आरुषि भोपाल के माध्यम से किया गया।



7. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पर कार्यशाला सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 में उल्लेखित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता हेतु दिनांक 07.07.2018 को विभागों विभागों व अशासकीय संस्थाओं के साथ कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में आयोजित की गई।



8. जागरूकता कार्यक्रम- वृद्धजनों हेतु हेल्पलाइन प्रारंभ

वृद्धावस्था पर केन्द्रीत बच्चों एवं युवाओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम दिनांक 30.07.2018 को आयोजित किया गया। जिसमें वृद्धजनों हेतु हेल्पलाइन नम्बर 1800-233-1253 का शुभारंभ किया गया।



9. 01 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

1 अक्टूबर 2018 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 10 वृद्धजनों को 'शतायु सम्मान' से सम्मानित किया गया।

1 अक्टूबर 2018 अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठजनों के लिए संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार व उनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 01.10.2018 को वरिष्ठजनों का वॉक व स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।



10. 2 से 8 अक्टूबर 2018 मद्य निषेध सप्ताह

दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2018 तक मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों यथा— नशामुक्ति जनजागरण रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नशामुक्ति परामर्श शिविर, मैराथन दौड़, आदि कार्यक्रम अलग-अलग स्थानों पर आयोजित कराये गये।



11. विश्व विकलांग दिवस

दिनांक 3 दिसम्बर 2018 को प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 3 दिसम्बर, 2018 को भोपाल में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया।



12. दिव्यांग एवं वृद्धजन के सहायतार्थ मेगा शिविर का आयोजन

विभिन्न जिलों में दिव्यांग व वरिष्ठजनों के लिये मेगा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय किये गये।



सारांश

1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को राज्य शासन द्वारा जो दायित्व सौंपे है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम एवं प्रदेश के सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से **42.51 लाख** से अधिक पेंशन हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से मार्च 2019 तक **4.81 लाख** कन्याएं लाभांवित हो चुकी हैं।
4. इस तरह समाज के कमजोर वर्ग, निराश्रित, दिव्यांगजन, वरिष्ठजन, कल्याणी, अविवाहिता और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।



निःशक्त कल्याण के अन्तर्गत शासकीय संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम
1	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर
2	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीवा
3	शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर
4	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ (बालिका) उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन
5	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल
6	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगौन
7	शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
8	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर
9	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर
10	अधीक्षक शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर
11	शासकीय अस्थि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतूल
12	शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर
13	अधीक्षक शासकीय राजकीय प्रौढ़ बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर
14	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, इंदौर(बालक/बालिका)
15	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, जबलपुर (बालक/बालिका)
16	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, सागर (बालक/बालिका)
17	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, ग्वालियर (बालक/बालिका)
18	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, रीवा (बालक/बालिका)
19	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, उज्जैन (बालक/बालिका)
20	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह, भोपाल (बालक/बालिका)

निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क्र.	जिले का नाम	कुल संस्था	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता
1	2	3	4
1	ग्वालियर	1	1. मांधव अंधाश्रम, ग्वालियर,
		2	2. म0प्र0 मूक बधिर कल्याण संस्था ग्वालियर.
2	शिवपुरी	3	1.मंगलम शिवपुरी
3	देवास	4	1. म0प्र0 दृष्टिहीन कल्याण संघ शाखा देवास
4	रतलाम	5	1.जनचेतना परिषद मंद एवं मूक बधिर विद्यालय पोलोग्रउण्ड के पास जिला रतलाम
5	उज्जैन	6	1.उज्जैनी वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा संचालित सेवांजलि विद्यालय
		7	2.अपंग सेवा आश्रम उज्जैन
6	इंदौर	8	1.मूक बधिर संगठन स्कीम नं. 71 रंजीत हनुमान के पीछे इंदौर
		9	2. गूंगे बहरो का निःशुल्क स्कूल एम0ओ0जी0 लाईन इंदौर
		10	3. अंध मूक बधिर विद्यालय जीवन दीप कालोनी इंदौर
		11	4. म0प्र0 दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर किला मैदान
		12	5. महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर बाम्बे अस्पताल के पास स्किम नं. 54 इंदौर
		13	6. राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ बाम्बे अस्पताल के पास स्किम नं. 54 इंदौर
		14	7. रोटरी पॉल हैरिस स्कूल बाम्बे अस्पताल के पास स्किम नं. 54 इंदौर
		15	8. विकलांग कल्याण संघ इंदौर सुखलिया एम0.आर.10 चन्द्रगुप्त चौराहा इंदौर
		16	9. महात्मा गांधी संस्थान नवलखा बंगाली क्लब के पास इंदौर , डे स्कूलर विद्यालय, गैर छात्रावासी
		17	10. कुष्ठ सेवा संस्थान इंदौर
7	झाबुआ	18	1.करुणा सदन कुष्ठ निवारण संस्था राणापुर
8	अलीराजपुर	19	1.चन्द्रशेखर आजाद आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वास केन्द्र जिला अलीराजपुर
9	बडवानी	20	1. श्री कांता विकलांग टस्ट झांकर निवाली जिला बडवानी
		21	2. आशाग्राम ट्रस्ट जिला बडवानी
10	खण्डवा	22	1. श्रीमती सावित्री बाई झंवर सेवा न्यास जिला खण्डवा
11	भोपाल	23	1. दृष्टिहीन कल्याण संघ शिवाजीनगर भोपाल
		24	2. नेशनल एसोसियेशन फॉर द ब्लाइंड सांकेत नगर भोपाल
		25	3.मेरियन सोसायटी आशा निकेतन बधिर उ0मा0वि0 अरेरा कालोनी भोपाल
		26	4.मिरियम स्कूल फॉर द मेंटली हेण्डीकेप्ड अरेरा कालोनी भोपाल
		27	6.शुभम विकलांग एवं समाज सेवा समिति नशेमन कंपाउण्ड कोहेफिजा भोपाल
		28	7.दिग्विदर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल
		29	8.महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम भोपाल

12	विदिशा	30	1.सूरज निकेतन विशेष स्कूल, शिवकल्याण एवं शिक्षण समिति विदिशा
13	बैतुल	31	1.दृष्टिहीनो की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र पाढर जिला बैतूल
14	छतरपुर	32	1.प्रगतिशील विकलांग संसार चौबे नर्सिंग हास्पिटल के पास छतरपुर
15	दमोह	33	1.अनंत मूक बधिर विद्यालय दमोह
16	जबलपुर	34	1. चेतना विकलांग सेवा भारती शासकीय प्राथमिक शाला परिसर गोल बाजार जबलपुर
		35	2. स्नेह निकेतन थाना गौरखपुर के पास जबलपुर
17	रीवा	36	1.अशासकीय नेत्रहीन एवं विकलांग उ०मा०विद्यालय तोपखाना रीवा
18	सीधी	37	1. गुरुकूल संस्कृति शिक्षा समिति विवेकानंद विकलांग आश्रम सीधी द्वारा संचालित विवेकानंद विकलांग आवसीय विद्यालय सीधी
19	सतना	38	तुलसी प्रज्ञा चक्षु दृष्टि श्रवण बाधित

**निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में जिला निराश्रित निधि से अनुदान/सहायता
प्राप्त संचालित संस्थाओं की जानकारी**

क्र.	जिला	क्रमांक	संस्था का नाम
1	भोपाल	1	उमंग गोरव दीप वेलफेयर सोसायटी 111, अराधना नगर कोटरा भोपाल
2	विदिशा	2	उम्मीद शिक्षण समिति विशेष स्कूल
3	इंदौर	3	संस्था सेवेदना बौद्धिक विकास केन्द्र महु इंदौर
4	खरगौन	4	ज्योतिर्मय सेवा समिति बडवाह
		5	मॉ. जे. नर्मदा सेवा समिति बडवाह
5	खण्डवा	6	निमाड अंचल नेत्रहीन संघ खण्डवा
		7	स्वयं सिद्धा शिक्षण समिति खण्डवा
6	ग्वालियर	8	आत्म ज्योति आवासी दृष्टिहीन कन्या विद्यालय
7	दतिया	9	अजय मेमोरियल चेरिटीबल ट्रस्ट अनामय आश्रम दतिया
		10	मानव जन कल्याण संस्था शिवपुरी शाखा झांसी रोड दतिया
8	श्यामपुर	11	गौरीशंकर आधुनिक शिक्षा प्रसार समिति
9	भिण्ड	12	बजरंग शिवम शिक्षा प्रसार समिति मेहगांव
10	छिंदवाडा	13	शुभम निःशक्त तकनीकी विद्यालय
11	नरसिंहपुर	14	महर्षि वशिष्ठ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान
12	बैतूल	15	अर्पण बहुउद्देशीय शिक्षण समिति
13	होशंगाबाद	16	डॉ. एनीबिसेन्ट मानसिक निःशक्त स्कूल/ छात्रावास
		17	संज्ञा शिक्षा समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित (दृष्टिबाधित) विद्यालय
		18	भविष्य मानसिक निःशक्त विशेष विद्यालय
14	सिंगरौली	19	जय मॉ. कालिका विकलांग विशेष आवासीय विद्यालय
15	सतना	20	स्नेह सदन सोशल वेलफेयर सोसायटी पतेरी सतना
16	कटनी	21	स्वावलंबन विकलांग पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान
		22	राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान झिझंरी
		23	भारतीय रेडक्रास सोसायटी श्रवण बाधितार्थ विद्यालय
17	नीमच	24	रेडक्रास मूक बधिर विद्यालय एवं आवासीय छात्रावास
18	देवास	25	मालवा कौंसिल फार सोशल वर्क 6 एमआईजी जवाहर नगर देवास

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम

क्र०	जिला	संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	1	गांधी भवन न्यास द्वारा संचालित वृद्धाश्रम शाहजहांनाबाद, गोलघर के पास, भोपाल "आसरा" वृद्धजन सेवा केन्द्र
		2	सेवा भारती (मातृछाया) भोपाल, नूतन कालेज के पास, लिंक रोड नं०-2, "आनंदधाम वृद्धाश्रम"
		3	ऑर्च डायोसिस आफ भोपाल आर्च बिशप्स हाउस, 33 अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल
		4	श्री विवेकानंद धर्मार्थ न्यास द्वारा संचालित "संत आरोग्य धाम विवेकानंद नगर, रजत नगर के पीछे, सोनागिरी, भोपाल
		5	अपना घर वृद्धाश्रम, बी-4-79, आई0आई0टी0 कालेज के पीछे कोलार रोड, भोपाल
2	होशंगाबाद	6	मुख्य नगर पालिका पिपरिया द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, बस स्टेण्ड, पिपरिया - जिला होशंगाबाद
		7	"आसरा वृद्धाश्रम" वान्या ढावा के सामने बुधनी रोड, जिला होशंगाबाद
		8	महोदय सुन्दरम जनकल्याण शिक्षण समिति, मुस्कान परिसर, न्यास कालोनी, श्रीजी कृपा गुरुशाला, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म0प्र0)
3	राजगढ़	9	अशा.संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र "आशाधाम वृद्धाश्रम" जिला राजगढ़
4	रायसेन	10	अशा.संस्था आर.डी.एस.एस., सिलवानी द्वारा संचालित महात्मा गांधी वृद्धाश्रम, जिला रायसेन
5	बैतूल	11	अशा.संस्था विशाल सतपुड़ा उत्थान समिति द्वारा संचालित "मातोश्री शिशु-वृद्धजन सेवाधाम" ग्राम उडदन, पोस्ट बाक्स नं. 27-भारत भारती जिला- बैतूल
6	विदिशा	12	अशा. संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित "श्री हरि वृद्धाश्रम" स्वर्णकार कालोनी, यामहा शो-रूम के पास, जिला विदिशा
7	हरदा	13	जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित शासकीय वृद्धाश्रम भवन जिला पंचायत के सामने, जिला हरदा
8	सीहोर	14	अशा. संस्था न्यू प्रताप शिक्षा समिति, जिला सीहोर द्वारा संचालित संकल्प वृद्धाश्रम जिला सीहोर
9	ग्वालियर	15	अशा.संस्था आश्रम शांति निकेतन शिक्षा समिति, मोतीलाल मिल, बिरलानगर, जिला ग्वालियर
		16	अशा. संस्था नारायण दास अग्रवाल परमार्थ सेवा ट्रस्ट, जागृति नगर, लक्ष्मीगंज ग्वालियर
		17	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, के-48, गांधी नगर, ग्वालियर जिला ग्वालियर
		18	वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान, लक्ष्मीबाई कालोनी, पड़ाव, जिला ग्वालियर
		19	सरस्वती शक्तिपीठ शिक्षा समिति, 59, विवेक नगर, मेला ग्राउण्ड, ग्वालियर
10	श्यापुर	20	अशा.संस्था श्री गणराज सेवा समिति, पाली रोड, श्यापुर
		21	अशा0संस्था फोरम फार इनवायरमेंट एण्ड इन्वायरमेंट, एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) विजयपुर, जिला श्यापुर
11	गुना	22	अशा.संस्था श्री साईनाथ सेवा सदन समिति, "अपना घर वृद्धाश्रम, नानाखेडी, जिला- गुना
12	भिण्ड	23	अशा. संस्था- मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, गली नं० 2 जमना रोड, जिला भिण्ड (मुख्यालय के-48 गांधी नगर जिला ग्वालियर द्वारा संचालित)
		24	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट तह0 लहार, जिला भिण्ड
		25	श्री मूलचन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम दबोह, जिला भिण्ड

क्र०	जिला	संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
		26	गहोई शिक्षा प्रसार समिति, मिहोना, जिला भिण्ड
13	शिवपुरी	27	अशा.संस्था मंगलम-शिवपुरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी
14	मुरैना	28	कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, माधोपुरा की पुलिया के पास मुरैना
15	अशोकनगर	29	अशा. संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) शंकरपुर, आरोन रोड,मगरदा चौराहा, जिला अशोकनगर
16	इन्दौर	30	अशा.संस्था कल्याण मित्र समिति (आस्था वृद्धाश्रम) समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, जिला इन्दौर
		31	अशा.संस्था महिला उत्कर्ष संस्थान (केन्द्रीय अनुदान से संचालित) जिला इन्दौर
		32	अमरलाल सेवा चैरेटेबिल ट्रस्ट द्वारकापुरी, जिला इन्दौर
		33	श्री भोलाराम भक्त हनुमान मंदिर परमार्थिक ट्रस्ट, 1/1 छोटी भमोरी अनूप टाकीज चौराहा, इन्दौर
17	झाबुआ	34	जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, रंगपुरा, जिला झाबुआ
18	धार	35	भारतीय रेडक्रास सोसायटी-धार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, इंदौर नाका, जिला धार
19	बुरहानपुर	36	अशा.संस्था हरखराज विजयराज लोढ़ा द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, जिला बुरहानपुर
20	खरगौन	37	आनंद बसेरा वृद्धाश्रम, नगर पालिका महेश्वर द्वारा संचालित, महेश्वर, जिला खरगौन
		38	आशा निकेतन वृद्धाश्रम, खलबुजुर्ग, तहसील कसरावद, जिला खरगौन, म0प्र0
21	बडवानी	39	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला बडवानी
22	खण्डवा	40	अशा.संस्था श्री वैष्णव वृद्धाश्रम आश्रम शांति निकेतन ओंकारेश्वर में संचालित वृद्धाश्रम जिला- खण्डवा,
		41	आस्था वेलफेयर सोसायटी, 222 स्टेशन रोड, इन्द्रप्रस्थ कॉम्पलेक्स,खण्डवा
23	उज्जैन	42	अशा.संस्था उज्जयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन, "सेवाधाम वृद्धाश्रम" ग्राम अम्बोदिया तह0 घटिया, जिला- उज्जैन
24	मंदसौर	43	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा मंदसौर द्वारा संचालित वृद्धाश्रम- रेवास देवडा रोड, जिला मंदसौर
25	देवास	44	जिला विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, जिला देवास द्वारा संचालित "बसेरा वृद्धाश्रम" राजोदा रोड, जिला देवास मध्यप्रदेश।
26	रतलाम	45	भारतीय रेडक्रास सोसायटी,बिरयाखेडी जिला रतलाम
27	नीमच	46	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नीमच
28	सागर	47	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा सागर द्वारा संचालित "आनंद वृद्धाश्रम" खुरई जिला सागर, म0प्र0
		48	गोपाल सेवा वृद्धाश्रम, गढ़ाकोटा, जिला सागर देव सर्वोदय समिति, वल्लभ नगर वार्ड, जिला सागर द्वारा संचालित
		49	जनपद पंचायत रहली जिला सागर
		50	भारत भारती शोध संस्थान, रजौआ, तहसील सागर, जिला सागर
29	दमोह	51	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, दमोह
		52	सचेतन विकास समिति, 486 ब्यौहार बाग, जबलपुर, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर शाखा स्व0 शोभालाल पटेरिया वृद्धाश्रम, ग्राम हटरी, जिला दमोह
30	छतरपुर	53	अशा.संस्था दर्शना महिला कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, छतरपुर
		54	अशा.संस्था-मां भगवती महिला मंडल,घुवारा, तहसील बडामलहरा,जिला छतरपुर

क्र०	जिला	संख्या	अशासकीय संस्था का नाम पता
31	टीकमगढ़	55	अशा० संस्था— आर०एस० शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आरेछा में संचालित “श्री रामराजा वृद्धाश्रम” लुकमान चौराहा, मोटे का मोहल्ला, आरेछा, जिला टिकमगढ़
32	पन्ना	56	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला पन्ना
		57	श्री राम असहायजन चेरिटेबिल सोसायटी, वार्ड क्रमांक 4, कोठी, अजयगढ़, जिला पन्ना
33	जबलपुर	58	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बाजनामठ, तिलवाराघाट रोड, जबलपुर
		59	मिशनरीश ऑफ चारिटी मदर टेरेसास आश्रम आनन्द भवन पूर्वी घमापुर, काँचघर, जबलपुर 482001
34	छिन्दवाड़ा	60	नगरपालिका परिषद द्वारा संचालित “गोधुली वृद्धाश्रम” लोनियाकरबल, जिला छिन्दवाड़ा
35	मण्डला	61	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला मण्डला
36	डिण्डौरी	62	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला डिण्डौरी
37	नरसिंहपुर	63	आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति, “जगतगुरु शंकराचार्य वृद्धाश्रम” झोतेश्वर, गोटेगाव, जिला—नरसिंहपुर
38	कटनी	64	अशा.संस्था कर्मयोग समिति, 10 सावरकर वार्ड, नई बस्ती जिला कटनी “बच्चन नायक वृद्धाश्रम, ग्राम कछगंवा, झिंझर जेल के पास, जिला कटनी
39	बालाघाट	65	सहारा वृद्धाश्रम, जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं० 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट
40	सिवनी	66	अशा.संस्था नूतन महिला कल्याण समिति, काली चौक जिला सिवनी
41	रीवा	67	अशा.संस्था निवेदिता कल्याण समिति, जय भारत नगर, लालगांव रीवा (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
42	सीधी	68	गोपालदास सार्वजनिक कल्याण समिति, गोपालदास आश्रम, मणिकूट सीधी, जिला— सीधी
43	सतना	69	प्रमोदवन आनंदधाम, कांच मंदिर के आगे, चित्रकूट, सतना वृद्धाश्रम
		70	मां शारदा देवी प्रबंध कमेटी (ट्रस्ट) समिति, मैहर, जिला—सतना
		71	“चन्द्राश्रय वृद्धाश्रम” डॉ. लालता प्रसाद खरे पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट, सतना, नीमी रोड, सकरिया, जिला सतना
		72	शिव शक्ति शिक्षा समिति, गंजास, ज०पं० रामनगर जिला सतना
		73	विनायक एजुकेशन सोसायटी, पौराणिकटोला, सिविल लाइन, जिला सतना
		74	दुर्गा वृद्ध सेवा समिति, ग्राम पंचायत अमिरिती पोस्ट देवरा, ज.प. मझगंवा, सतना
44	शहडोल	75	अशा.संस्था—भारत विकास परिषद, कल्याणपुर, जिला शहडोल
45	सिंगरौली	76	जय मां कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई, वि०खंड० देवसर, जिला सिंगरौली
46	अनुपपूर	77	कल्याण वृद्धाश्रम ग्राम सीतापुर ग्राम पंचायत बरबसपुर, जिला अनुपपुर द्वारा संचालित सोनांचल सेवा समिति (वर्तमान में शासन द्वारा संचालित)

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित डे-केयर सेंटर

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
1	भोपाल	1	वरिष्ठ नागरिक मण्डल, ई-4/10, अरेरा कालोनी, भोपाल
		2	चित्रांश ह्यूमन एण्ड वेलफेयर सोसायटी मकान नं0 16, श्री नगर कालोनी, बैरसिया रोड, भोपाल
2	सीहोर	3	नगर पालिका परिषद, सीहोर
3	राजगढ़	4	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट जिला राजगढ़
4	रायसेन	5	सियावास स्वावलंबी समाज सेवी संस्था, बेगमगंज, जिला रायसेन
		6	आर.डी.एस.एस., सिलवानी
		7	जय गुरुदेव धर्म प्रचारक समिति,वार्ड क्र0 11 म.नं. 34,कन्या शाला के पीछे, पटेल नगर जिला रायसेन
5	हरदा	8	पहल सामाजिक संस्था, टिमरनी, जिला हरदा द्वारा नगरीय निकाय हरदा एवं टिमरनी में संचालन
6	होशंगाबाद	9	श्री मैकलसुता शिक्षा समिति द्वारा संचालित "वृद्धजन डे केयर सेंटर" संजय नगर ग्वालटोली, जिला होशंगाबाद
		10	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सांगाखेडाकलां जनपद पंचायत बाबई
		11	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सुआखेडी जनपद पंचायत बाबई
		12	नर्मदांचल नयाजीवन जनकल्याण सेवा समिति, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत शुक्करवाडा फार्म जनपद पंचायत बाबई
		13	महोदय सुन्दरम, न्यास कालोनी, इटारसी, द्वारा संचालित वृद्धजन ग्राम पंचायत मेहरागांव तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद
		14	सरपंच ग्राम पंचायत सिंगानामा,द्वारा संचालित ग्राम पंचायत सिंगानामा जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद
		15	सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया, द्वारा संचालित ग्राम पंचायत नांदिया जनपद पंचायत पिपरिया, जिला होशंगाबाद
		16	सरपंच ग्राम पंचायत छीतापुरा, जनपद पंचायत केसला द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
		17	सरपंच ग्राम पंचायत चौकीपुरा (सुखतवा) जनपद पंचायत केसला द्वारा संचालित वृद्धजन डे केयर सेंटर
		18	स्व0 नर्मदाप्रसाद दुबे नशामुक्ति केन्द्र द्वारा संचालित ग्राम पंचा. पवारखेडा जन0पंचा0 होशंगाबाद
		19	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका पिपरिया, होशंगाबाद
		20	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र सिवनी मालवा द्वारा संचालित वृद्धजन डे-केयर सेंटर
		21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र बानापुरा (सिवनी मालवा) द्वारा संचालित वृद्धजन डे-केयर सेंटर
		22	सरपंच ग्राम पंचायत शिवपुर, जनपद पंचायत सिवनी मालवा
7	विदिशा	23	ज्ञान सरोवर शिक्षा समिति, शेरपुरा जिला विदिशा
8	ग्वालियर	24	वरिष्ठ नागरिक संस्थान ग्वालियर द्वारा संचालित "कस्तूरबा गाँधी

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
			विश्रांति भवन न्यास, ग्वालियर
9	गुना	25	श्री साईनाथ सेवा सदन समिति नानाखेडी गुना
10	अशोकनगर	26	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट फीड शाखा अशोकनगर
11	शिवपुरी	27	अशा.संस्था मंगलम-शिवपुरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी
		28	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद जिला शिवपुरी
		29	फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट "फीड" गांधी कालोनी, म0नं0 99, शिवपुरी
12	दतिया	30	बाल प्रगति शिक्षण संस्थान दतिया द्वारा दतिया में संचालित
13	भिण्ड	31	निराश्रित निधि से संचालित
14	मुरैना	32	वरिष्ठ नागरिक सह पेंशन संघ, मुरैना
		33	ईश्वर सिंह शिक्षा प्रसार समिति, किशोरगढ़, जिला मुरैना
15	श्यापुर	34	मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, श्यापुर
16	इंदौर	35	नगर निगम, इंदौर
		36	ग्रामीण उद्यमिता एवं जनकल्याण समिति, विसनावत, इंदौर
		37	सनातन चरेटेबिल टस्ट इंदौर
		38	"अमराई" वरिष्ठ नागरिक परामर्श एवं कल्याण संघ, ई, एफ-2, स्कीम नं0 54, पॉवर हाऊस के सामने, जिला इंदौर
17	खरगौन	39	नगर पालिका खरगौन
		40	नगर पालिका सनावद
		41	नगर पालिका बड़वाह
18	खंडवा	42	आस्था वेलफेयर सोसायटी, स्टेशन रोड, खंडवा (ज.प.)
		43	सोसायटी फार मेक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चर एवं रूरल टेक्नालाजी, खंडवा (शहरी क्षेत्र में)
		44	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर बलडी (किल्लौद))
		45	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर हरसूद)
		46	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खालवा)
		47	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर पुनासा)
		48	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर छैगांवमाखन)
		49	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर पंधाना)
		50	लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खण्डवा)
19	झाबुआ	51	नगर पालिका-झाबुआ वृद्धाश्रम मंगल भवन, जिला झाबुआ
20	उज्जैन	52	अपंग सेवाश्रम महाकाल घाटी उज्जैन

क्र.	जिला	संख्या	संस्था का नाम
		53	सहस्र औद्योगिक समाज वरिष्ठजन समिति, के-7, एम0आई0जी0 ऋषिनगर, उज्जैन
21	रतलाम	54	नगर पालिका परिषद् जावरा जिला रतलाम वार्ड नं.14 सा. भवन
22	देवास	55	वरिष्ठ नागरिक संस्था, देवास
23	मंदसौर	56	सेवा निवृत्त एवं पेंशनर महासंघ, जिला मंदसौर
		57	ग्राम बालागुडा, जनपद पंचायत मल्हारगढ
24	जबलपुर	58	वरिष्ठ सेवा केन्द्र डे केयर सेंटर छावनी मंडल केंद्र द्वारा संचालित "छावनी परिषद् जिला जबलपुर"
		59	पंजाबी हिन्दू एसोसियेशन नेपियर टाउन जबलपुर
25	सिवनी	60	नगर पालिका परिषद् जिला सिवनी
26	छिंदवाडा	61	नगर पालिका परिषद्, छिंदवाडा
27	नरसिंहपुर	62	नगर पालिका परिषद्, नरसिंहपुर
28	डिण्डोरी	63	मु.न.पा.अधिकारी नगर परिषद् डिण्डोरी "ज्ञानोदय वाचनालय भवन"
29	सागर	64	आनंद आश्रम सागर
		65	रंगखोज परिषद् सागर, प्रथम तल, साहू बिल्डिंग, सागर
30	छतरपुर	66	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका छतरपुर
		67	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् खजुराहो
31	टीकमगढ	68	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, टीकमगढ द्वारा संचालित
32	रीवा	69	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, रीवा
		70	निवेदिता कल्याण समिति, रीवा
33	सिंगरौली	71	जय माँ कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई विकास खंड देवसर जिला सिंगरौली
34	उमरिया	72	नगर पंचायत-चांदिया
		73	नगर पालिका पाली
		74	नगर पालिका उमरिया
35	सीधी	75	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सीधी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र0 02 सीधी के बगल में
36	पन्ना	76	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद्, पन्ना
37	आगर	77	मध्यप्रदेश पेंशनर एसोसियेशन जिला आगर (मालवा)
38	बुरहानपुर	78	नगर पालिका निगम बुरहानपुर
39	मंडला	79	नगर पालिका परिषद् मंडला
40	दमोह	80	अशा. संस्था- वीणा शिक्षण समित दमोह
		81	अशा. संस्था- निर्मल सोशल एजुकेशनल हेल्थ एवं इको फ्रेंडली सोसायटी सागर
41	बालाघाट	82	नगर पालिका बालाघाट द्वारा संचालित
42	बैतूल	83	आर्यपुरा टिकारी वरिष्ठ नागरिक संगठन जिला बैतूल

**भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान प्राप्त
संचालित संस्थाएँ
नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों (IRCA) की सूची**

क्रमांक	जिला का नाम	स्वैच्छिक संस्था व संचालित केन्द्र का नाम
1	इंदौर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी इंदौर “आर्शीवाद नशामुक्ति” केन्द्र मेंटल हास्पिटल के पास बाणगंगा मेनरोड इंदौर
2	उज्जैन	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, उज्जैन “जागृति नशामुक्ति केन्द्र” नगर निगम उप कार्यालय परिसर, मक्सी रोड फ्रीगंज, उज्जैन
3	नीमच	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा नीमच नशामुक्ति केन्द्र ओ.पी. एम.एण्ड अल्कोलाइड फैक्ट्री केम्पस नीमच
4	सीहोर	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, संकल्प नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र “यशोदा कुंज” कस्बा सीहोर
5	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति भोपाल “नव ज्योति नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र” 11 ए अवधपुरी कॉलोनी, सुख सागर वैली के पास रेट नाका, ग्वारीघाट जबलपुर जिला जबलपुर
6	बालाघाट	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट युग शक्ति भवन बार्ड नं. 1 भटेरा चौकी बालाघाट (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
7	पन्ना	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद् होमगार्ड आफिस के पास पन्ना (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
8	सिवनी	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट शाखा जयरथ नाका ईश्वर नगर सिवनी (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
9	विदिशा	अजन्ता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति 53 साँची मार्ग देवी का वाग के सामने विदिशा (नशामुक्ति केन्द्र गायत्री मंदिर के सामने राजीव नगर हीरापुर विदिशा)
10	भिण्ड	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति मालनपुर तह. गोहद जिला भिण्ड (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र केडवरी फैक्ट्री के पीछे मालनपुर)
11	खण्डवा	सोसायटी फार मेग्जीमाइजिंग एग्रीकल्चर एण्ड रूरल टेक्नोलाजी खण्डवा (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र 10 धनवंतरी नगर केसर होटल के सामने जसवाडी रोड खण्डवा)
12	जबलपुर	सदभाव मिशन समिति जबलपुर, (सदभाव नशामुक्ति केन्द्र कुदवाडी कालोनी अमखेड़ा पेट्रोल पम्प के पास जबलपुर)
13	इन्दौर	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र संस्कृति रायल पार्क कनुप्रिया नगर राउ इन्दौर)
14	बडवानी	आशा ग्राम ट्रस्ट बडवानी (नशामुक्ति केन्द्र आशा ग्राम ट्रस्ट बडवानी)

जिले के संयुक्त संचालक तथा उप संचालक कार्यालय के दूरभाष नम्बर

क्र.	जिला	अधिकारी का नाम	कोड	दूरभाष	मोबाईल	ईमेल	समग्र संयोजक	मोबाईल
1.	भोपाल	श्री मनोज तिवारी	0755	2540865	9425021526	pswbho@mp.nic.in,	श्री पंकज विश्वकर्मा	8319154538
2.	सीहोर	श्रीमती रचना बुधोलिया प्रभारी	07562	227039	8878811711	pswseh@mp.nic.in,	श्री कृपाल सिंह	9752247412
3.	रायसेन	प्रियंका सिमरोट प्रभारी	07482	222052	8962915096	pswrar@mp.nic.in,	श्री नजीम अली	9302807241
4.	राजगढ़	श्री नवीन धुर्वे, प्रभारी	07372	255259	8989156750	pswrar@mp.nic.in,	श्री बालचन्द्र राठौर	9617647552
5.	विदिशा	डॉ. पी.के. मिश्रा प्रभारी	07592	234272	9407256836	ddsvid@mp.gov.in,	श्री संजय कुमार	9993966443
6.	होशंगाबाद	श्रीमती प्रमिला वाईकर	07574	252283	9425688379	pswhos@mp.nic.in,	श्री अमित चौरे	8319961743
7.	बैतूल	श्री कमलेश सिंह प्रभारी	07141	234368	9424429944	ddsjbtl@gmail.com,		
8.	हरदा	डॉ. प्रियंका गोयल प्रभारी	07577	225193	9425452020	pswhar@mp.nic.in,	श्री अभिषेक साहू	9039816868
9.	इन्दौर	श्री बी.सी. जैन प्रभारी	0731	2367214	9893320081	pswind@mp.nic.in,	श्री गिरधारीलाल	9977271522
10.	धार	श्री विजय प्रभारी	07292	235810	9131229336	ddsjdhar@gmail.com,	श्री दिनेश चौधरी	9993679457
11.	खरगौन	श्री आर.के. सिंह	07282	235019	9425459152	pswkh@mp.nic.in,	श्री विकास जोशी	9977933588
12.	खण्डवा	श्री रवि श्रीवास्तव प्रभारी	0733	2223229	9009249252	pswkhd@mp.nic.in,	श्री बाबू पचौरे	9424524999
13.	बड़वानी	श्री संजय सिंह तोमर प्रभारी	07290	222801	8435250148	pswbar@mp.nic.in,		
14.	बुरहानपुर	प्रगति वर्मा प्रभारी	07325	242158	9425002981	ddsw_bpr@rediffmail	श्री विजय जाधव	9754945322
15.	झाबुआ	प्रति संध्वी प्रभारी	07392	244285	9977769771	pswjha@mp.nic.in,		
16.	अलीराजपुर	श्री मगनसिंह कनेश प्रभारी			9826444657	dds.alirajpur@gmail.com	श्री मोईनुद्दीनशेख	9893426352
17.	उज्जैन	श्री सी.एल. पंथारी	0734	2510515	8878163784	pswuuj@mp.nic.in,	श्री अनिल शर्मा	7509000137
18.	देवास	श्री राजेश कामदार	07272	254928	9893789406	pswdew@mp.nic.in,	श्री शुभम सक्सेना	9575026710
19.	शाजापुर	श्री एच.एल.वर्मा AddCEO,ZP	07364	226783	9425038653	pswshj@mp.nic.in,	श्री नरेन्द्र तिवारी	9827809595
20.	रतलाम	श्री दिनेश वर्मा AddCEO,ZP	07412	270428	9425438193	ddsjr@mp.gov.in,	श्री जयंत सेठिया	9009923588
21.	मंदसौर	डॉ0 जे.के.जैन	07422	235203	9826458277	pswmas@mp.nic.in,	श्री मनोहर प्रजापति	9617977184
22.	नीमच	श्रीमती रेलम बघेल प्रभारी	07423	257053	9694032032	psjne@mp.gov.in,	श्री डाडमचन्द्र पाटीदार	9981069696
23.	आगर मा.	श्री आर.पी.एस. पवार प्रभारी			9425980259	dds.agar@mp.gov.in,		
24.	ग्वालियर	श्री राजीव सिंह	0751	2346967	9425136317	pswgwa@mp.nic.in,	श्री मनीष कौशिक	9617807700
25.	शिवपुरी	श्री विभेन्द्र गुप्ता AddCEO,ZP	07492	233640	9754567675	pswshi@mp.nic.in,	श्री पवन शर्मा	9425748281
26.	गुना	श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी	07542	252202	7415368842	pswgun@mp.nic.in,		
27.	दतिया	श्री धनंजय मिश्रा AddCEO,ZP	07522	237259	9425831886	ddsdatia@gmail.com,	श्री नरेन्द्र दुबे	9584918102
28.	मुरैना	श्री शिवकुमार मिश्रा प्रभारी	07532	226990	8435904818	pswmor@mp.nic.in,	श्री दिनेश कषाना	9993416688
29.	भिण्ड	श्री शशिभूषण शर्मा प्रभारी	07534	242568	9425419611	ddpbhind.123@gmail.com,		
30.	श्यापुर	श्री सुनील भदौरिया	07530	220572	7415368842	sj.sheopur@mp.gov.in	श्री राजवीर सिंह	9826203591
31.	अशोकनगर	श्री विशाल सिंह AddCEO,ZP	07543	222461	9109448034	ddpashoknagar@gmail.com,		
32.	सागर	श्रीमती मंजू खरे प्रभारी	07582	223524	9425140790	pswsag@mp.nic.in,	श्री अमित नेमा	9303006700
33.	दमोह	श्री आनंद कोपरिया प्रभारी	07812	222687	9425158461	pswdam@mp.nic.in,	श्री विनित नामदेव	7415414234
34.	पन्ना	श्री अशोक चतुर्वेदी AddCEO,ZP	07732	252058	9424672972	pswpan@mp.nic.in,	श्री मोहम्मद अबूबकर	8878096363
35.	छतरपुर	श्री ए.पी. खरे	07682	246517	9425145310	ddpchhatarpur@gmail.com,		
36.	टीकमगढ़	श्री आर. के. पस्तौर	07683	242383	9425404238	pswtik@mp.nic.in,	श्री मनीष सेन	9630836500
37.	जबलपुर	श्री आशीष दीक्षित प्रभारी	0761	2625256	9425384868	pswjab@mp.nic.in,	श्री कैलाश पटेल	9425647040
38.	नरसिंहपुर	श्रीमती अंजना त्रिपाठी प्रभारी	07792	230412	8750559888	pswnar@mp.nic.in,	श्री छत्रपाल मेहरा	9424303587
39.	छिन्दवाड़ा	श्री अनुराग मोदी प्रभारी	07162	243426	9424355204	pswchi@mp.nic.in,	श्री मोहनीष कहार	8109409188
40.	सिवनी	श्री वीरेश सिंह बघेल	07692	228005	9425446937	pswseo@mp.nic.in,	श्री अभिषेक कुमार	9993951339
41.	मण्डला	श्री अनिल कोचर AddCEO,ZP	07642	223560	8889472972	pswmal@mp.nic.in,		
42.	बालाघाट	श्री अरविन्द डामोर CEO,ZP	07632	240281	9425923409	pswbal-mp@mp.nic.in,	श्री लक्ष्मीचन्द बहेश्वर	9713675365
43.	डिण्डोरी	श्री पी आर टांडिया प्रभारी	07644	234841	9425359649	pswdin@mp.nic.in,	श्री राहुल शर्मा	9425854753
44.	कटनी	श्री दीपक सिंह प्रभारी	07622	221250	9424727491	pswkat@mp.nic.in,	श्री अमित कुमार दुबे	9753667762
45.	रीवा	श्रीमती सुचिता तिकी	07662	254095	9893860721	pswrew@mp.nic.in,	श्री मिनेन्द्र	9755137444
46.	सतना	श्री दयाशंकर	07672	224391	9406931575	ddsjsatna@gmail.com,	श्री सत्यदेव	8349859586
47.	सीधी	श्री सी.बी. मिश्रा प्रभारी	07822	250282	9993457175	pswsid@mp.nic.in,	श्री राजेश मिश्रा	9425161496
48.	सिंगरोली	डॉ. एस.एम.पी. शर्मा प्रभारी			9425185317	socialjusticesing@gmail.com	श्री दीपक द्विवेदी	7898124810
49.	शहडोल	श्रीजी.एस.टेकाम AddCEO,ZP	07652	245209	9131381850	pswshd@mp.nic.in,	श्री मोहम्मद तस्बीन	9753707580
50.	उमरिया	श्री मनमोहन सिंह प्रभारी	07653	223027	9179640022	ddsjuma@gmail.com,	श्री राजाराम अहिरवा	9617524184
51.	अनूपपुर	श्री अमन मिश्रा प्रभारी	07659	222699	7067665426	psjanu@mp.gov.in,	श्री स्वतंत्र केशवानी	9685652035

बुजुर्गों और निःशक्तजनों की
सुविधा के लिए
‘पेंशन आपके द्वार’ व्यवस्था



5 किमी से ज्यादा दूरी वाले ग्रामीण हितग्राहियों
को मिलेगा फायदा

निश्चित तिथि और नजदीकी स्थान पर किया
जाएगा भुगतान

**सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध
मप्र सरकार**

**निःशक्त विवाह
प्रोत्साहन योजना**

योजना के अंतर्गत ₹2 लाख
की प्रोत्साहन राशि
अब तक 10 हजार से ज्यादा
हितग्राहियों को मिला लाभ

